

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
(संदर्भ अनुच्छेद 1.1.3; पृष्ठ 5)

राज्य सरकार के वित्तीय साधनों पर समय श्रेणी आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
भाग क: प्राप्तियाँ										
1. राजस्व प्राप्तियाँ	1,00,285	1,09,026	1,27,307	1,37,873	1,40,114	1,34,308	1,83,920	1,94,988	2,03,276	2,27,250
(i) कर राजस्व (स्वयं कर)	42,713	44,372	50,605	57,380	59,245	60,283	74,808	87,346	94,086	1,03,310
राज्य वस्तु एवं सेवा कर(एस.जी.एस.टी)	-	-	12,137	22,938	21,954	20,755	27,502	33,790	38,016	42,518
कृषि आय पर कर	- ¹	- ¹	- ¹	- ¹	- ¹	- ¹	- ¹	- ¹	- ¹	- ¹
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	26,345	28,558	19,008	14,791	15,843	17,479	20,605	22,727	23,473	23,369
राज्य उत्पाद शुल्क	6,713	7,054	7,276	8,694	9,592	9,853	11,807	13,326	13,225	15,104
वाहनों पर कर	3,199	3,623	4,363	4,576	4,951	4,368	4,759	6,128	6,704	7,574
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	3,234	3,053	3,675	3,886	4,235	5,297	6,492	8,189	9,181	10,542
भू-राजस्व	272	315	364	290	364	280	632	484	469	869
वस्तु एवं यात्रियों पर कर	848	803	341	51	41	45	171	8	- ²	1
अन्य कर	2102	966	3,441	2,154	2,265	2,206	2,840	2,694	3,018	3,333
(ii) कर-भिन्न राजस्व	10,928	11,615	15,734	18,603	15,714	13,653	18,755	20,565	18,680	23,502
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	27,916	33,556	37,028	41,853	36,049	35,576	54,031	57,231	68,063	77,548
(iv) भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान ³	18,728	19,483	23,940	20,037	29,106	24,796	36,326	29,846	22,447	22,890
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	5	28	16	20	20	14	31	16	14	7
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	1,447	1,713	15,134	15,158	15,670	373	2,374	420	405	517
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,01,757	1,10,767	1,42,457	1,53,051	1,55,804	1,34,695	1,86,325	1,95,424	2,03,695	2,27,774
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	60,998	43,889	28,557	37,847	44,757	66,480	62,821	55,647	87,154	89,691
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	59,249	40,434	27,000	35,205	40,548	59,344	53,485	48,563	76,195	78,091
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,749	3,455	1,557	2,642	4,209	7,136	9,336	7,084	10,959	11,600
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	1,62,755	1,54,656	1,71,014	1,90,898	2,00,561	2,01,175	2,49,146	2,51,071	2,90,849	3,17,465
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-

- 2015-16: ₹ 0.01 लाख, 2016-17: मात्र ₹ 202, 2017-18: ₹ 0.02 लाख, 2018-19: ₹ 0.23 लाख, 2019-20: 'शून्य', 2020-21: ₹ 0.04 लाख, 2021-22: ₹ 0.19 लाख, 2022-23: ₹ 0.06 लाख, 2023-24: ₹ 0.16 लाख और 2024-25: ₹0.55 लाख
- ₹ (-) 0.46 करोड़
- राज्य में गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को सीधे हस्तांतरित की गई धनराशि शामिल नहीं है।

परिशिष्ट

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,49,910	1,56,045	1,56,811	1,70,528	1,93,165	2,08,447	2,51,295	2,43,204	2,85,480	3,35,623
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	3,09,665	3,10,701	3,27,825	3,61,426	3,93,726	4,09,622	5,00,941	4,94,275	5,76,329	6,53,088
भाग ख. व्यय/संवितरण										
10. राजस्व व्यय	1,06,239	1,27,140	1,45,842	1,66,773	1,76,485	1,78,309	2,09,790	2,26,479	2,42,231	2,69,200
कार्यक्रम	1,04,128	1,25,006	1,43,671	1,64,281	1,73,400	1,75,213	2,06,538	2,23,076	2,38,874	2,65,691
प्रशासनिक	1,921	2,134	2,171	2,492	3,085	3,096	3,252	3,403	3,357	3,509
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	31,016	39,203	43,451	54,364	56,186	60,144	65,406	71,875	77,678	87,022
सामाजिक सेवायें	43,349	49,372	53,064	65,687	68,313	74,009	85,054	90,168	1,01,884	1,14,789
आर्थिक सेवायें	31,874	38,565	49,327	46,722	51,986	44,156	59,330	64,436	62,669	67,389
सहाय्यतार्थ अनुदान एवं अंशदान	-	- ⁴	- ⁴	- ⁴	- ⁴	- ⁴	- ⁴	- ⁴	- ⁴	- ⁴
11. पूंजीगत व्यय	21,986	16,980	20,623	19,638	14,718	15,271	24,152	19,798	26,646	30,727
कार्यक्रम	21,285	15,889	19,172	18,211	13,287	13,697	21,801	18,089	24,504	28,575
प्रशासनिक	701	1,091	1,451	1,427	1,431	1,574	2,351	1,709	2,142	2,152
सामान्य सेवायें	441	437	527	588	463	398	484	542	407	517
सामाजिक सेवायें	5,996	6,214	7,221	6,913	5,490	7,642	10,951	8,851	9,950	12,557
आर्थिक सेवायें	15,549	10,329	12,875	12,137	8,765	7,231	12,717	10,405	16,289	17,653
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	36,602	12,965	1,334	1,113	2,255	491	621	175	398	267
13. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. कुल व्यय (10+11+12+13)	1,64,827	1,57,085	1,67,799	1,87,524	1,93,458	1,94,071	2,34,563	2,46,452	2,69,275	3,00,194
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,959	5,015	11,674	16,915	18,616	17,539	17,586	20,819	28,886	30,593
आंतरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	4,434	4,441	11,041	16,137	17,782	16,632	16,467	19,409	27,299	29,159
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	525	574	633	778	834	907	1,119	1,410	1,587	1,434
16. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17. समेकित निधि से कुल संवितरण (14+15+16)	1,69,786	1,62,100	1,79,473	2,04,439	2,12,074	2,11,610	2,52,149	2,67,271	2,98,161	3,30,787
18. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-
19. लोक लेखा संवितरण	1,40,431	1,48,886	1,47,088	1,60,570	1,79,741	1,99,229	2,40,110	2,34,001	2,75,295	3,22,816
20. राज्य द्वारा कुल संवितरण (17+18+19)	3,10,217	3,10,986	3,26,561	3,65,009	3,91,815	4,10,839	4,92,759	5,01,272	5,73,456	6,53,603
भाग ग: घाटा										

4. 2015-16: ₹ 0.10 करोड़, 2016-17: ₹ 0.06 करोड़, 2017-18: ₹ 0.11 करोड़, 2018-19: ₹ 0.09 करोड़, 2019-20: ₹ 0.07 करोड़, 2020-21: ₹ 0.07 करोड़; 2021-22: ₹ 0.04 करोड़; 2022-23: ₹ 0.04 करोड़; 2023-24: ₹ 0.05 करोड़ और 2024-25: ₹ 0.06 करोड़

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
21. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(-) 5,954	(-) 18,114	(-) 18,535	(-) 28,900	(-) 36,371	-44,001	-25,870	-31,491	-38,955	-41,950
22. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-14)	(-) 63,070	(-) 46,318	(-) 25,342	(-) 34,473	(-) 37,654	-59,376	-48,238	-51,028	-65,580	-72,420
23. प्राथमिक घाटा (-)/प्राथमिक अधिशेष (+) (22+24)	(-) 51,062	(-) 28,641	(-) 5,622	(-) 12,778	(-) 14,011	-34,174	-20,138	-20,426	-31,452	-34,075
भाग घ: अन्य आंकड़े										
24. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	12,008	17,677	19,720	21,695	23,643	25,202	28,100	30,602	34,128	38,345
25. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	31,725	32,892	34,985	34,862	41,025	39,745	49,127	49,443	48,329	54,819
26. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	-	04	99	143	273	329	271
मार्गोपाय अग्रिम का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	-	04	99	143	273	329	271
ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	0.29	13.85	25.02	113.09	339.93	180.01
28. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)®	6,81,485	7,60,587	8,32,529	9,11,519	10,00,032	10,17,917	11,95,641	13,56,480	15,21,510	17,04,339
29. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अंत में)	2,09,386	2,55,002	2,81,182	3,11,374	3,52,702	4,10,500 ^s	4,62,845 ^{ss}	5,05,574 ^{ss}	5,71,639 ^{ss}	6,40,844 ^{sss}
30. बकाया प्रतिभूतियां (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	53,620	51,159	61,761	70,430	80,631	82,612	95,868	1,04,832	1,10,918	1,16,800
31. दी गयी प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि (वर्ष के अंत में)	1,61,918	1,18,161	1,12,057	1,31,026	1,44,676	1,56,822	1,72,684	2,01,008	2,21,973	2,40,907
भाग ड: राजकोषीय स्थिति सूचकांक(प्रतिशत में)										
I संसाधन गतिशीलता										
स्व-कर राजस्व/ जीएसडीपी	6.27	5.83	6.08	6.29	5.92	5.92	6.26	6.44	6.18	6.06
स्व-कर भिन्न राजस्व/ जीएसडीपी	1.60	1.53	1.89	2.04	1.57	1.34	1.57	1.52	1.23	1.38
स्व-राजस्व/ जीएसडीपी	7.87	7.36	7.97	8.34	7.50	7.26	7.83	7.96	7.41	7.44
स्व-राजस्व / कुल व्यय	32.54	35.64	39.53	40.52	38.75	38.10	39.89	43.79	41.88	42.24
II व्यय प्रबंधन										
कुल व्यय/जीएसडीपी	24.19	20.65	20.16	20.57	19.35	19.07	19.62	18.17	17.70	17.61
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	164.36	144.08	131.81	136.01	138.07	144.50	127.54	126.39	132.47	132.10
राजस्व व्यय/कुल व्यय	64.45	80.94	86.91	88.93	91.23	91.88	89.44	91.90	89.96	89.68
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	45.64	55.98	61.02	59.94	62.18	60.89	61.55	62.73	61.11	60.69
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	13.34	10.81	12.29	10.47	7.61	7.87	10.30	8.03	9.90	10.24
पूँजीगत व्यय / जीएसडीपी	3.23	2.23	2.48	2.15	1.47	1.50	2.02	1.46	1.75	1.80
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन										
राजस्व घाटा / जीएसडीपी	-0.87	-2.38	-2.23	-3.17	-3.64	-4.32	-2.16	-2.32	-2.56	-2.46
राजकोषीय घाटा / जीएसडीपी	-9.25	-6.09	-3.04	-3.78	-3.77	-5.83	-4.03	-3.76	-4.31	-4.25
प्राथमिक घाटा / जीएसडीपी	-7.49	-3.77	-0.68	-1.40	-1.40	-3.36	-1.68	-1.51	-2.07	-2.00

परिशिष्ट

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
IV ऋण स्थिरता										
प्रभावी बकाया देयता/ जीएसडीपी	30.72	33.53	33.77	34.16	35.27	39.88	37.72	36.40	36.79	37.10
ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्तियाँ	11.97	16.21	15.49	15.74	16.87	18.76	15.28	15.69	16.79	16.87

स्रोत: वित्त लेखे

@ स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार

\$ प्रभावी बकाया राजकोषीय देनदारियां ₹ 4,05,896 करोड़ होंगी क्योंकि राज्य को ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 4,604 करोड़ के जीएसटी मुआवजे को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के तहत राज्य का ऋण नहीं माना जाएगा

\$\$ वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के तहत, राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 11,872 करोड़ रुपये के जीएसटी मुआवजे को राज्य का ऋण नहीं माना जाएगा, इसलिए प्रभावी बकाया राजकोषीय देनदारियां 2021-22 में ₹ 4,50,973 करोड़, 2022-23 में ₹ 4,93,702 करोड़ और 2023-24 में ₹ 5,59,767 करोड़ होंगी

\$\$\$ प्रभावी बकाया राजकोषीय देनदारियां ₹ 6,32,325 करोड़ होंगी क्योंकि राज्य को ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 8,519 करोड़ के जीएसटी मुआवजे (प्रोफोर्मा में से ₹ 3,353 करोड़ घटाने के बाद) को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के तहत राज्य का ऋण नहीं माना जा सकता

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ अनुच्छेद 1.1.4; पृष्ठ 6)

वर्ष 2024-25 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25		
				प्रशासनिक	कार्यक्रम	योग
भाग क: राजस्व						
I. राजस्व प्राप्तियाँ	2,27,250.02	2,03,276.28	I. राजस्व व्यय	3,508.75	2,65,691.30	2,69,200.05
कर राजस्व	1,03,309.97	94,085.94	सामान्य सेवायें	485.23	86,536.81	87,022.04
--			सामाजिक सेवायें	1,030.24	1,13,759.05	1,14,789.29
कर-भिन्न राजस्व	23,502.51	18,679.57	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	202.41	53,505.16	53,707.57
--			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	236.69	22,198.41	22,435.10
संघीय करों में राज्य का हिस्सा	77,547.76	68,063.21	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवासन एवं शहरी विकास	410.35	12,672.74	13,083.09
--			सूचना एवं प्रसारण	114.40	18.46	132.86
आयोजना-भिन्न अनुदान			अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	44.66	2,030.22	2,074.88
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान			श्रम एवं श्रम कल्याण	15.46	1,811.20	1,826.66
--			सामाजिक कल्याण एवं पोषण	6.27	21,353.40	21,359.67
केन्द्रीय और केन्द्र प्रत्यायोजित योजनाओं के लिये अनुदान			अन्य	0.00	169.46	169.46
--			आर्थिक सेवायें	1,993.28	65,395.38	67,388.66
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	14,424.31	14,262.92	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	1,622.21	9,447.65	11,069.86
--			ग्रामीण विकास	43.34	14,124.02	14,167.36
वित्त आयोग अनुदान	6,677.06	5,590.55	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	1.14	1.14
--			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	-16.88	2,713.92	2,697.04
राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान	1,788.41	2,594.08	उर्जा	2.06	32,572.12	32,574.18
--			उद्योग एवं खनिज	223.64	471.15	694.79
--			परिवहन	0.00	3,917.50	3,917.50
--			विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0.00	20.38	20.38
--			सामान्य आर्थिक सेवायें	118.91	2,127.50	2,246.41
--			सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	0.00	0.06	0.06
II. अग्रेषित किया गया राजस्व घाटा	41,950.04	38,954.60	II. अग्रेषित किया गया राजस्व अधिशेष			
भाग ख : पूंजीगत						
III. स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष	10,544.82	7,671.53	III. भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारंभिक ओवरड्राफ्ट			

प्राप्तियाँ	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25		
				प्रशासनिक	कार्यक्रम	योग
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	7.35	14.24	IV. पूंजीगत परिव्यय	2,151.96	28,574.65	30,726.61
--			सामान्य सेवायें	0.46	516.78	517.24
--			सामाजिक सेवायें	0.00	12,556.31	12,556.31
--			शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	0.00	1,135.78	1,135.78
--			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.00	3,242.91	3,242.91
--			जलापूर्ति, स्वच्छता, आवासन एवं शहरी विकास	0.00	7,447.46	7,447.46
--			सूचना एवं प्रसारण	0.00	2.20	2.20
--			अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	0.00	434.56	434.56
--			सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0.00	92.47	92.47
--			अन्य	0.00	200.93	200.93
--			आर्थिक सेवायें	2,151.50	15,501.56	17,653.06
--			कृषि और संबध गतिविधियाँ	0.00	515.78	515.78
--			ग्रामीण विकास	0.00	1,000.03	1,000.03
--			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00	74.06	74.06
--			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,151.50	3,539.86	5,691.36
--			उर्जा	0.00	170.00	170.00
--			उद्योग एवं स्मिज	0.00	66.91	66.91
--			परिवहन	0.00	9,593.18	9,621.18
--			विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	0.00	3.64	3.64
--			सामान्य आर्थिक सेवायें	0.00	510.10	510.10
V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	516.72	404.74	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	0.00	267.34	267.34
विद्युत परियोजनाओं से	419.27	284.91	विद्युत परियोजनाओं के लिये	0.00	0.00	0.00
सरकारी कर्मचारियों से	0.02	0.02	सरकारी कर्मचारियों को	0.00	0.00	0.00
अन्यों से	97.43	119.81	अन्यों को	0.00	267.34	267.34
VI. अधोनित राजस्व अधिशेष			VI. अधोनित राजस्व घाटा			41,950.04
VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ	89,691.02	87,154.13	VII. लोक ऋण पुनर्भुगतान	0.00	30,592.77	30,592.77
बाह्य ऋण	-	-	बाह्य ऋण	-	-	-
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण	78,091.49	76,194.83	मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर आंतरिक ऋण	0.00		29,159.03
मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेनदेन			मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेनदेन	0.00		
ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	-	-	ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन	0.00		-

प्राप्तियाँ	2024-25	2023-24	संवितरण	2024-25		
				प्रशासनिक	कार्यक्रम	योग
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	11,599.53	10,959.30	भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	0.00		1,433.74
VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-
IX. आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि	-	-	IX. आकस्मिकता निधि से व्यय	-	-	-
X. लोक लेखा प्राप्तियाँ	3,35,622.53	2,85,479.58	X लोक लेखा से संवितरण	0.00	0.00	3,22,816.35
लघु बचत और भविष्य निधि	16,600.48	16,408.29	लघु बचत और भविष्य निधि	0.00		10,838.51
आरक्षित निधियाँ	9,773.88	10,609.48	आरक्षित निधियाँ	0.00		9,476.83
उच्चत एवं विविध	57.02	118.23	उच्चत एवं विविध	0.00		25.49
प्रेषण	34,813.96	14,517.77	प्रेषण	0.00		34,815.45
जमा एवं अग्रिम	2,74,377.19	2,43,825.81	जमा एवं अग्रिम	0.00		2,67,660.07
XI. भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट			XI. अंत में रोकड़ शेष	0.00	-	10,029.29
--			कोषालयों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	0.00	-19.66	-19.66
--			रिजर्व बैंक के पास जमायें	0.00	18.75	18.75
--			स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	0.00	9,230.52	9,230.52
--			रोकड़ शेष निवेश	0.00	799.68	799.68
योग	4,36,382.44	3,80,724.22	योग			436382.44@

@ निरपेक्ष आंकड़े को (-) 0.04 करोड़ से राउंड ऑफ करने से अंतर है।

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ अनुच्छेद 1.1.5; पृष्ठ 6)

31 मार्च 2025 को राजस्थान सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2024 को	देयताएं		31 मार्च 2025 को
3,99,857.54	आंतरिक ऋण		4,48,790.01
3,58,826.82	ब्याज वाले बाजार ऋण		4,15,211.83
0.03	बिना ब्याज वाले बाजार ऋण		0.02
5.65	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण		3.77
41,025.04	अन्य संस्थानों से ऋण		33,574.39
-	मार्गोपाय अग्रिम		-
-	भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट		-
46,794.09	केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम		53,606.51
5.41	वर्ष 1984-85 से पूर्व के ऋण		5.41
7.49	गैर-आयोजना ऋण		5.04
718.01	राज्य योजनागत योजनाओं के लिए ऋण		502.49
-	केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए ऋण		-
3.05	केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण		3.05
46,060.13	राज्य/विधानमंडल वाले केंद्र शासित योजनाओं के लिए ऋण		53,090.52
1,000.00	आकस्मिकता निधि		1,000.00
70,219.43	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, इत्यादि		75,981.40
46,211.77	जमायें		52,929.43
18,446.21	आरक्षित निधि अग्रिम		18,743.25
-	उच्चत एवं विविध शेष		14.15
-	प्रेषण शेष		-
-	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ		
-	व्यय पर प्राप्तियों की संचयी अधिकता		
5,82,529.04	योग		6,51,064.75
परिसम्पत्तियाँ			
288596.62	स्थायी परिसंपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-		319315.92
61778.42	कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश		62818.06
226818.20	अन्य पूंजीगत परिव्यय		256497.86
7961.69	ऋण एवं अग्रिम -		7712.31
31 मार्च 2024 को			31 मार्च 2025 को
4296.64	विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण		3877.37
3365.05	अन्य विकासात्मक ऋण		3836.93
-1.97	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण		-1.99
3.05	अग्रिम		3.59
7.91	प्रेषण शेष		9.41
17.38	उच्चत एवं विविध शेष		-
10544.81	रोकड़ -		10029.29
-8.37	कोषालयों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण		-19.66
10.75	रिजर्व बैंक के पास जमा		18.75
24.37	विभागीय नकद शेष जिसमें स्थायी अग्रिम शामिल		24.37
-	सुरक्षा जमा		-

31 मार्च 2024 को		31 मार्च 2025 को
9890.55	निर्धारित निधियों का निवेश	9206.15
627.51	रोकड़ शेष निवेश	799.68
275397.59	सरकारी लेखे पर घाटा	313994.25
38954.60	(i) वर्तमान वर्ष के राजस्व अधिशेष का कम होना	41950.04
-	(ii) आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-
236442.99	वर्ष के प्रारंभ में संचित घाटा	272044.21*
	आकस्मिकता निधि	1000.00
582529.05	योग	651064.75@

* पिछले वर्ष के शेष (₹ 275397.59 करोड़) में कमी आई है, जिसका कारण भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष के दौरान ₹ 3353.38 करोड़ के लगातार लिए गए ऋणों का समायोजन है।

@ पूर्ण आंकड़े को (+) 0.02 करोड़ से राउंड ऑफ करने से अंतर है।

परिशिष्ट 1.4
(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.5.3; पृष्ठ 58)

राजकोषीय मापदंडों का एफआरबीएम लक्ष्य 2015-2025 के साथ अनुपालन

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय मापदंड		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
राजस्व घाटा (₹ करोड़ में)	वास्तविक	5,954	9,114	6,535	16,900	36,371	44,001	25,870	31,491	38,955	41,950
	एफआरबीएम लक्ष्य	राजस्व अविशेष									
राजकोषीय घाटा/ जीएसडीपी (प्रतिशत में)	वास्तविक	-9.25	-6.09	-3.04	-3.78	-3.77	-5.83	-4.03	-3.76	-4.31	-4.25
	एफआरबीएम लक्ष्य	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	5.00	3.5**	3.5**	3.5**	3.5**
प्राथमिक घाटा/जीएसडीपी (प्रतिशत में)	वास्तविक	-7.49	-3.77	-0.68	-1.40	-1.40	-3.36	-1.68	-1.51	-2.07	-2.00
	एफआरबीएम लक्ष्य	राज्य एफआरबीएम अधिनियम में कोई लक्ष्य उल्लिखित नहीं है									
ऋण/ जीएसडीपी (प्रतिशत में)	वास्तविक*	30.72	33.53	33.77	34.16	35.27	39.88	37.72	36.40	36.79	37.10
	एफआरबीएम लक्ष्य	36.50	36.50	35.50	35.00	34.00	38.20	38.20	38.20	38.20	38.20
बकाया प्रतिभूतियां (₹ करोड़ में)	वास्तविक	53,620	51,159	61,671	70,430	80,631	82,612	95,868	1,04,832	1,10,918	1,16,600
	एफआरबीएम लक्ष्य	एफआरबीएम अधिनियम, 2005 (अप्रैल 2016 में संशोधित) के अनुसार, 31 मार्च 2017 को कुल बकाया सरकारी गारंटी वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की संवित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बकाया सरकारी गारंटी उस वित्तीय वर्ष में राज्य की संवित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।									

* बिना लगातार ऋण लिए

** बिजली सुधार के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा सहित।

परिशिष्ट 2.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.3; पृष्ठ 86)

ऐसे मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान से बचत
	राजस्व दत्तमत				
1	8- सचिवालय	435.22	40.23	425.94	9.28
2	18- गृह विभाग	10,202.40	52.88	9,380.10	822.30
3	21- माध्यमिक शिक्षा विभाग	26,118.44	265.30	25,372.26	746.18
4	29- आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग	1,347.02	101.66	1,279.05	67.97
5	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	23,040.15	922.15	20,385.80	2,654.35
6	36- आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग	5,300.15	1,118.55	3,683.39	1,616.76
7	39- नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	89.07	44.95	73.05	16.02
8	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	3,194.05	28.11	3,003.88	190.17
9	46- कृषि विभाग	3,475.16	70.18	2525.28	949.88
10	48- उद्यानिकी विभाग	960.06	54.06	782.64	177.42
11	50- सहकारिता विभाग	1,975.01	77.47	1,903.97	71.04
12	51- अनुरूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	30,295.94	62.88	26,478.23	3,817.71
13	53- ग्रामीण विकास विभाग	4,589.76	160.05	2,948.66	1,641.10
	पूँजीगत दत्तमत				
14	18- गृह विभाग	359.67	18.24	232.92	126.75
15	20- प्रारंभिक शिक्षा विभाग	550.85	69.19	221.74	329.12
16	27- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	1,116.30	57.76	1051.61	64.69
17	31- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	186.93	181.64	156.08	30.86
18	41- जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग	4,084.50	98.53	3,634.38	450.12
19	46- कृषि विभाग	149.59	54.72	148.80	0.79
20	47- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	48.29	13.33	38.08	10.20
	पूँजीगत प्रभारित				
21	4- लोक ऋण का पुनर्भुगतान	16,0670.80	4,917.84	1,52,872.21	7,798.60
	योग	2,78,189.36	8,409.73	2,56,598.07	21,591.29

परिशिष्ट 2.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.3; पृष्ठ 87)

ऐसे मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹10 करोड़ या उससे अधिक) अत्यधिक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल बजट	वास्तविक व्यय	अत्यधिक पूरक प्रावधान (बचत)
	राजस्व दत्तमत					
1	5- लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड	115.64	54.24	169.88	116.18	-53.71
2	11- पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग	246.03	18.48	264.51	252.78	-11.73
3	14- राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग	2153.35	313.48	2466.83	2383.43	-83.40
4	15- पेंशन	28996.56	1223.06	30219.62	29320.13	-899.49
5	17- सामान्य प्रशासन विभाग	339.41	30.90	370.31	343.69	-26.61
6	37- देवस्थान विभाग	59.23	37.23	96.46	87.59	-8.88
7	41- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	5588.41	285.17	5873.58	5698.82	-174.76
8	44- सार्वजनिक निर्माण विभाग	2941.36	419.79	3361.15	3178.03	-183.12
9	54- ऊर्जा विभाग	17160.62	4023.71	21184.32	20877.78	-306.54
10	56- उद्योग विभाग	651.49	247.49	898.99	860.51	-38.48
	राजस्व प्रभारित					
11	3- ब्याज अदायगियां	37537.83	1580.31	39118.14	38344.64	-773.50
12	5- लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड	69.49	25.75	95.24	84.50	-10.74
	पूंजीगत दत्तमत					
13	56- उद्योग विभाग	12.45	65.39	77.84	52.01	-25.83
	योग	104033.11	8663.31	112696.42	110200.32	-2496.10

मद-वार अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान और उसके कारण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	शीर्ष	मूल प्रावधान	पूरक	वास्तविक व्यय	कारण
1	05-लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड	2051-103-01-राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड	115.24	54.13	115.83	पद रिक्त रहने के कारण, नई सामग्री की सरीद नहीं की गई और आरएसआईएल को भुगतान नहीं किया गया।
2		2051-102-01-राजस्थान लोक सेवा आयोग	69.49	25.64	84.39	पद रिक्त रहना और कार्यों पर कम व्यय
3	08-सचिवालय	2052-090-01-02-सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से	9.00	15.80	21.98	सार्वजनिक निर्माण विभाग और परिवहन विभाग द्वारा व्यय न किया जाना तथा शिक्षा विभाग और राजस्थान राज्य परिवहन निगम के बिलों (ईसीएस) का भुगतान न किया जाना।
4		2251-090-01-शिक्षा विभाग, कला और संस्कृति	18.22	2.90	18.68	वेतन और भत्तों पर कम खर्च
5	12-आबकारी विभाग	4059-80-051-15-सामान्य भवन (राज्य उत्पाद)	0.04	4.22	1.33	सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा चार नए निर्माण कार्यों का कम निष्पादन।
6	19-कारागार विभाग	2056-101-06-जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा	6.58	4.05	7.51	राज्य की विभिन्न केंद्रीय जेलों (जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर) में टीएचसीबीसी प्रणाली स्थापित करने के लिए आवंटित राशि व्यपगत हो गई, क्योंकि बीएसएनएल वित्तीय वर्ष के भीतर टारवों का निर्माण पूरा नहीं कर सका; जिसके परिणामस्वरूप संबंधित फर्म को भुगतान नहीं किया जा सका।

क्र. सं.	अनुदान संख्या	शीर्ष	मूल प्रावधान	पूरक	वास्तविक व्यय	कारण
7	29-आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा विभाग	2210-04-800-01-01-आयुर्वेद विभाग	85.86	101.66	137.59	अंतिम दिन ट्रेजरी से बिल पास न हो पाना, क्योंकि केंद्रीय सहायता की स्वीकृति 31 मार्च 2025 को प्राप्त हुई थी।
8	31-सामाजिक न्याय और	4225-80-800-02-90-निर्माण कार्य	1.93	133.32	11.98	भारत सरकार से राशि कम प्राप्त होना।
9	अधिकारिता विभाग	6225-03-800-01-अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम को ऋण	₹ 1000	48.32	37.50	विभाग द्वारा कारण सूचित नहीं किये गए।
10	36- आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	2245-01-800-03-05-कृषि फसलों, बागवानी फसलों और वार्षिक लगन की फसलों के लिए लघु और सीमांत किसानों को कृषि आदान अनुदान	71.20	81.35	80.10	सूखे के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आवश्यकतानुसार लघु और सीमांत किसानों को कृषि आदान अनुदान प्रदान किया गया ।
11		2245-01-800-03-06-लघु एवं सीमांत कृषकों से भिन्न कृषि आदान अनुदान	100.00	485.00	227.75	सूखे के कारण फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए, आवश्यकतानुसार लघु और सीमांत किसानों को कृषि इनपुट अनुदान प्रदान किया गया।
12	44-सार्वजनिक निर्माण विभाग	3054-02-337-01-02-संधारण और जीर्णोद्धार	23.39	69.46	127.50	सीमावर्ती सड़कों के रस्सरसाव और मरम्मत पर कम खर्च।
13		5054-04-337-19-90-निर्माण कार्य	₹ 1000	105.00	49.30	सड़कों और पुलों पर कम व्यय होना।
14	46-कृषि विभाग	2401-197-04-01-स्थापना व्यय	278.30	70.18	305.30	टीए बिल समय पर जमा न होने के कारण यात्रा भत्ते पर खर्च कम हुआ, नव-नियुक्त सुपरवाइज़र के स्थायीकरण और नियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है।
15	56-उद्योग विभाग	2852-80-102-02-ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (BIP) को अनुदान	41.50	35.00	66.48	विभाग द्वारा कारण सूचित नहीं किये गए ।
16		4885-60-800-28-01-जयपुर में यूनिटी मॉल	₹1000	65.39	40.65	कार्यकारी एजेंसी रीको लिमिटेड द्वारा निधियों का उपयोग न किया जाना।
17	61-विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	3425-01-800-01-विज्ञान और प्रौद्योगिकी	4.25	1.00	4.44	विभाग द्वारा कारण सूचित नहीं किये गए ।
18		3425-01-800-03-सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क	0.08	1.00	0.12	विभाग द्वारा कारण सूचित नहीं किये गए ।
19		3425-01-800-12-01-स्थापना व्यय	8.54	0.51	7.87	56 पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन और भत्तों पर कम खर्च हुआ, और जयपुर में SARSEK उप-केंद्र पर भी कम खर्च हुआ।
		योग	833.62	1304.91	1346.30	

परिशिष्ट 2.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.4; पृष्ठ 88)

निधि का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)/ बचत (-)
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		
पुनर्विनियोजन आदेशों के माध्यम से प्रावधान में कमी की गई, जो अतिरिक्त व्यय था								
1	44- सार्वजनिक निर्माण विभाग	5054-02-337-03 सीमा सड़क विकास के माध्यम से	323.75	0.00	(-) 24.91	298.84	426.91	(+) 128.07
पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधानों में वृद्धि करना अविवेकी सिद्ध हुआ								
2	3- ब्याज अदायगियां	2049-01-101-06-81- 7.67% राजस्थान सरकार स्टॉक 2033 श्रृंखला	42.11	0.00	(+) 12.14	54.25	36.78	(-)17.47
3	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	3054-02-796-01-01 रस्तरसाव और नवीनीकरण	4.59	0.00	(+) 11.98	16.58	0.00	(-) 16.58
4	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर	2701-24-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	18.02	0.00	(+) 0.05	18.07	1.70	(-) 16.37
5	परियोजना विभाग	2700-04-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	600.18	0.00	(+) 15.82	616.00	553.73	(-) 62.27
6	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3054-02-789-01-01 रस्तरसाव और नवीनीकरण	6.07	0.00	(+) 15.60	21.67	0.00	(-) 21.67
7	53- ग्रामीण विकास विभाग	2515-800-05-01 मुख्यालय	560.02	0.00	(+) 8.34	568.36	443.69	(-) 124.66
8	3- ब्याज अदायगियां	2049-01-123-01- लघु बचत निधि से लिए गए ऋण पर ब्याज	724.84	0.00	(+) 0.19	725.03	726.46	(+) 1.44
9	44- सार्वजनिक निर्माण विभाग	5054-03-337-11 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-I (एडीबी)	560.56	0.00	(+) 119.53	680.09	682.06	(+) 1.97
10	36- आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	2245-02-107-02-01 बाढ़ से प्रभावित सरकारी कार्यालय भवन की मरम्मत	5.00	0.00	(+) 14.98	19.98	22.63	(+)2.65
11	44- सार्वजनिक निर्माण विभाग	5054-03-337-04 नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का प्रावधान	343.45	0.00	(+) 90.34	433.79	432.80	(-) 0.99
12		5054-04-800-14-90 निर्माण कार्य	82.43	0.00	(+) 82.26	164.69	161.63	(-) 3.06
13	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	5054-04-789-06-90 निर्माण कार्य	21.40	0.00	(+) 16.60	38.00	37.03	(-) 0.96

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.5; पृष्ठ 89)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अभ्यर्पण के बाद बड़ी बचत (₹ 100 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	कुल बजट प्रावधान	व्यय	बचत	अभ्यर्पण	बचत (अभ्यर्पण के बाद)
	राजस्व दत्तमत					
1	15- पेंशन	30,219.62	29,320.13	(-)899.49	706.90	(-)192.60
2	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	3,222.16	3,003.88	(-)218.28	105.01	(-)113.27
3	53- ग्रामीण विकास विभाग	4,749.81	2,948.66	(-)1,801.15	1,676.46	(-)124.70
	राजस्व प्रभारित					
4	3- ब्याज अदायगियां	39,118.14	38,344.64	(-)773.50	268.36	(-)505.14
	पूंजीगत दत्तमत					
5	26- युवा मामले और खेल विभाग	85.58	(-)191.47	(-)277.06	35.14	(-)241.91
	योग	77,395.32	73,425.84	(-)3,969.48	2,791.86	(-)1,177.62

उपरोक्त अनुदानों में मद-वार बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा मद	बचत (अभ्यर्पण को छोड़कर)
1.	3-ब्याज अदायगियाँ	2049-01-101-05-94- 7.30 % राजस्थान सरकार स्टॉक 2030	18.63
		2049-01-101-06-05- 7.88% राजस्थान सरकार स्टॉक 2032	78.80
		2049-01-101-06-48- 7.29% राजस्थान सरकार स्टॉक 2032	36.45
		2049-03-104-04-02- उद्यान सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग	93.06
		2049-03-104-06-02- जल संसाधन विभाग के कर्मचारियों का जीपीएफ	41.54
2.	15-पेंशन	2071-01-110-01- जिला परिषद एवं पंचायत समिति कर्मचारियों की पेंशन	1.23
		2071-01-101-01- राज्य कर्मचारियों की पेंशन	165.99
		2071-01-104-01-राज्य कर्मचारियों की ग्रेजुटी	5.33
		2071-01-105-01-01-कर्मचारियों के आश्रितों की पारिवारिक पेंशन	17.12
		2071-01-102-01-01- कर्मचारी पेंशन का रूपांतरण	1.50
3.	26-युवा मामले एवं खेल विभाग	4202-03-102-01- खेल विभाग के माध्यम से – जिला खेल परिसर	241.91
4.	42-जल संसाधन एवं इंदिरा गाँधी नहर परियोजना विभाग	2700-02-800-03- अन्य व्यय	11.76
		2700-36-800-01- अन्य व्यय	2.47
		2700-39-800-01- अन्य व्यय	4.24
		2701-24-800-01- अन्य व्यय	16.37
		2701-73-800- अन्य व्यय	2.76
		2700-03-001-01-01- सिंचाई सामान्य निर्माण कार्य	8.08
		2700-04-800-01- अन्य व्यय	62.27
5.	53-ग्रामीण विकास विभाग	2515-800-05-01- मुख्यालय	124.66

परिशिष्ट 2.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.5; पृष्ठ 91)

वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक की निरंतर बचत वाले अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान नाम	2022-23	2023-24	2024-25
		राजस्व दत्तमत			
1	16	राजस्व विभाग	218.25	325.26	251.30
2	18	गृह विभाग	601.76	591.58	875.17
3	20	प्रारंभिक शिक्षा विभाग	4,281.16	4,326.55	4,899.41
4	21	माध्यमिक शिक्षा विभाग		760.93	1,011.49
5	22	उच्च शिक्षा विभाग		250.49	334.10
6	27	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	1,587.33	558.07	784.17
7	28	चिकित्सा शिक्षा विभाग		211.64	352.45
8	29	आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग		158.61	169.63
9	30	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	2,402.04	3,892.02	3,576.50
10	31	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	1,062.03	899.26	1,197.43
11	32	महिला एवं बाल विकास विभाग		514.20	578.25
12	34	श्रम एवं रोजगार विभाग		108.38	131.42
13	36	आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	1,512.57	1837.14	2,735.31
14	40	स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	868.24	1803.33	1,931.26
15	42	जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	262.7	220.55	218.28
16	45	वन एवं पर्यावरण विभाग	123.67	143.88	345.37
17	46	कृषि विभाग	1,213.81	234.73	1,020.06
18	47	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	103.91	407.52	187.56
19	50	सहकारिता विभाग	444.68	1,589.48	148.51
20	51	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	2,472.31	5,466.54	3,880.59
21	52	पंचायती राज संस्थान	732.11	2,967.50	2,094.11
22	53	ग्रामीण विकास विभाग		2,294.12	1,801.15
		राजस्व प्रभारित			
23	3	ब्याज अदायगियां	131.38	431.83	773.50
		पूंजीगत दत्तमत			
24	20	प्रारंभिक शिक्षा विभाग	563.31	339.79	398.31
25	21	माध्यमिक शिक्षा विभाग		416.40	304.64
26	22	उच्च शिक्षा विभाग		123.89	180.19
27	26	युवा मामले और खेल विभाग	718.88	139.95	277.06
28	27	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग		242.79	122.44
29	28	चिकित्सा शिक्षा विभाग		1,027.23	565.99
30	30	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	2,684.89	2,240.20	2,598.24
31	40	स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	887.72	2,378.42	2,042.51
32	41	जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग	2,952.28	1,516.27	548.65
33	42	जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	1,542.90	783.70	772.46
34	51	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	3,145.98	3,262.44	2,358.15
35	54	ऊर्जा विभाग	957.73	657.62	919.46
		योग	31,721.1	43,122.30	40,385.12

परिशिष्ट 2.6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.5; पृष्ठ 95)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बजट के उपयोग और बचत का अनुदानवार प्रतिशत

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान नाम	कुल बजट	कुल व्यय	बचत	उपयोग का प्रतिशत	उपयोग की सीमा (प्रतिशत)
1	26	युवा मामले और खेल विभाग	267.04	-42.39	-309.43	-15.87	10 से कम
2	57	पेट्रोलियम विभाग	402.71	2.07	-400.64	0.51	
3	59	पर्यटन विभाग	367.43	139.33	-228.10	37.92	30 से 50
4	1	राज्यपाल	33.39	22.05	-11.35	66.02	50 से 70
5	13	कोष एवं लेखा विभाग	1916.09	1335.07	-581.02	69.68	
6	25	कला एवं संस्कृति विभाग	152.89	89.76	-63.13	58.71	
7	33	सैनिक कल्याण विभाग	95.37	66.18	-29.19	69.39	
8	36	आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	6428.01	3684.00	-2744.01	57.31	
9	39	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	140.89	79.92	-60.97	56.73	
10	40	स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	12376.22	8402.42	-3973.81	67.89	
11	53	ग्रामीण विकास विभाग	5933.43	3999.05	-1934.38	67.40	
12	58	स्नान विभाग	247.17	164.90	-82.26	66.72	
13	60	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	1225.87	788.67	-437.19	64.34	
14	61	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	37.55	20.62	-16.93	54.91	
15	62	परिवहन विभाग	1624.95	958.48	-666.47	58.99	
16	64	अन्य सामान्य सेवाएँ	115.86	80.98	-34.88	69.89	
17	2	राज्य विधान मंडल	137.38	105.90	-31.48	77.08	70 से 90
18	5	लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड	287.43	211.86	-75.57	73.71	
19	6	विधि एवं विधिक मामलात विभाग	2845.79	2387.72	-458.07	83.90	
20	7	मंत्री परिषद्	37.16	28.20	-8.96	75.89	
21	8	सचिवालय	535.45	445.71	-89.74	83.24	
22	9	निर्वाचन विभाग	555.66	493.92	-61.74	88.89	
23	16	राजस्व विभाग	2107.62	1846.10	-261.52	87.59	
24	17	सामान्य प्रशासन विभाग	624.13	511.44	-112.69	81.94	
25	19	जेल विभाग	346.90	289.04	-57.86	83.32	
26	20	प्रारंभिक शिक्षा विभाग	21226.13	15927.06	-5299.07	75.04	
27	22	उच्च शिक्षा विभाग	2747.33	2233.00	-514.32	81.28	
28	24	तकनीकी शिक्षा विभाग	471.28	401.11	-70.17	85.11	
29	28	चिकित्सा शिक्षा विभाग	5455.11	4536.67	-918.44	83.16	
30	29	आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग	1500.21	1319.32	-180.89	87.94	
31	30	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	32366.37	26191.63	-6174.74	80.92	
32	31	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	12054.55	10644.62	-1409.93	88.30	
33	32	महिला एवं बाल विकास विभाग	3212.14	2602.69	-609.45	81.03	
34	34	श्रम एवं रोजगार विभाग	2159.34	1924.57	-234.77	89.13	
35	35	अल्पसंख्यक मामलात विभाग	492.06	344.80	-147.26	70.07	
36	37	देवस्थान विभाग	122.46	89.15	-33.31	72.80	
37	38	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	161.26	133.34	-27.93	82.68	
38	42	जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	6587.04	5596.21	-990.83	84.96	
39	43	सिंचित क्षेत्र विकास विभाग	552.27	435.09	-117.18	78.78	
40	45	वन एवं पर्यावरण विभाग	1859.87	1314.90	-544.97	70.70	
41	46	कृषि विभाग	3749.71	2674.13	-1075.58	71.32	

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान नाम	कुल बजट	कुल व्यय	बचत	उपयोग का प्रतिशत	उपयोग की सीमा (प्रतिशत)
42	47	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	1571.54	1360.43	-211.11	86.57	
43	48	उद्यमिकी विभाग	1020.03	788.55	-231.48	77.31	
44	49	गोपालन विभाग	2076.87	1777.97	-298.90	85.61	
45	51	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	37788.79	31550.04	-6238.75	83.49	
46	52	पंचायती राज संस्थान	9373.44	7264.46	-2108.97	77.50	
47	55	साध, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग	962.38	747.47	-214.90	77.67	
48	63	आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग	145.88	115.78	-30.10	79.36	
49	3	ब्याज अदायगियां	39118.14	38344.64	-773.50	98.02	90 से 100
50	4	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	165588.65	152872.21	-12716.44	92.32	
51	10	वणिज्यिक कर विभाग	1249.23	1173.30	-75.93	93.92	
52	11	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग	271.84	257.61	-14.23	94.76	
53	12	आबकारी विभाग	211.33	199.41	-11.91	94.36	
54	14	राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग	2594.83	2463.70	-131.13	94.95	
55	15	पेंशन	30239.62	29321.36	-918.26	96.96	
56	18	गृह विभाग	10635.20	9615.04	-1020.16	90.41	
57	21	माध्यमिक शिक्षा विभाग	27041.03	25717.47	-1323.56	95.11	
58	23	संस्कृत शिक्षा विभाग	665.93	641.97	-23.96	96.40	
59	27	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	11876.98	10970.34	-906.64	92.37	
60	41	जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग	10060.24	9336.78	-723.46	92.81	
61	44	सार्वजनिक निर्माण विभाग	11939.71	11831.44	-108.27	99.09	
62	50	सहकारिता विभाग	2064.02	1912.60	-151.42	92.66	
63	54	ऊर्जा विभाग	22273.79	21047.78	-1226.00	94.50	
64	56	उद्योग विभाग	976.83	912.52	-64.31	93.42	

परिशिष्ट 2.7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.5; पृष्ठ 96)

बचतें जिसका अभ्यर्पण नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	समर्पित राशि	समर्पण नहीं की गई राशि
		राजस्व दत्तमत	0	0	0	0	00	0	0
1	2	राज्य विधान मंडल	119.84	0.00	119.84	98.07	-21.77	21.76	-0.01
2	5	लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड	115.64	54.24	169.88	116.18	-53.71	53.67	-0.03
3	6	विधि एवं विधिक मामलात विभाग	2218.05	0.00	2218.05	1931.95	-286.10	285.21	-0.89
4	8	सचिवालय	435.22	40.23	475.45	425.94	-49.51	49.45	-0.05
5	10	वाणिज्यिक कर विभाग	1211.66	0.00	1211.66	1137.82	-73.83	73.65	-0.18
6	11	पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग	246.03	18.48	264.51	252.78	-11.73	11.63	-0.10
7	13	कोष एवं लेखा विभाग	1901.51	₹ 1000	1901.51	1334.97	-566.54	566.52	-0.02
8	15	पेंशन	28996.56	1223.06	30219.62	29320.13	-899.49	706.90	-192.60
9	16	राजस्व विभाग	2084.80	₹ 8000	2084.80	1833.50	-251.30	251.06	-0.24
10	18	गृह विभाग	10202.40	52.88	10255.28	9380.10	-875.17	872.08	-3.10
11	19	जेल विभाग	322.96	4.05	327.01	284.17	-42.84	42.77	-0.07
12	20	प्रारंभिक शिक्षा विभाग	20603.09	₹ 2000	20603.09	15703.68	-4899.41	4896.09	-3.32
13	21	माध्यमिक शिक्षा विभाग	26118.44	265.30	26383.75	25372.26	-1011.49	954.13	-57.36
14	26	युवा मामले एवं खेल विभाग	181.46	0.00	181.46	149.08	-32.38	31.80	-0.58
15	27	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	10,702.02	0.00	10,702.02	9,917.85	784.17	781.82	-2.35
16	28	चिकित्सा शिक्षा विभाग	3893.46	₹ 6000	3893.46	3541.02	-352.45	350.20	-2.25
17	29	आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग	1347.02	101.66	1448.68	1279.05	-169.63	169.14	-0.49
18	30	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	23040.15	922.15	23962.30	20385.80	-3576.50	3547.70	-28.80
19	32	महिला एवं बाल विकास विभाग	3177.64	₹ 2000	3177.64	2599.40	-578.25	576.02	-2.23
20	34	श्रम एवं रोजगार विभाग	1929.16	1.52	1930.68	1799.26	-131.42	131.40	-0.02
21	36	आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	5300.15	1118.55	6418.70	3683.39	-2735.31	2697.60	-37.71
22	37	देवस्थान विभाग	59.23	37.23	96.46	87.59	-8.88	8.82	-0.05
23	38	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	149.64	7.99	157.63	131.14	-26.49	26.43	-0.06
24	41	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	5588.41	285.17	5873.58	5698.82	-174.76	164.03	-10.73
25	42	जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	3194.05	28.11	3222.16	3003.88	-218.28	105.01	-113.27
26	45	वन एवं पर्यावरण विभाग	1321.73	0.00	1321.73	976.35	-345.37	345.27	-0.10
27	46	कृषि विभाग	3475.16	70.18	3545.34	2525.28	-1020.06	1019.93	-0.13
28	48	उद्योगिकी विभाग	960.06	54.06	1014.12	782.64	-231.48	231.43	-0.06
29	49	गोपालन विभाग	2026.87	0.00	2026.87	1762.00	-264.87	264.78	-0.09
30	50	सहकरिता विभाग	1975.01	77.47	2052.48	1903.97	-148.51	148.32	-0.19
31	51	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	30295.94	62.88	30358.82	26478.23	-3880.59	3842.31	-38.28
32	52	पंचायती राज संस्थान	9358.85	0.00	9358.85	7264.74	-2094.11	2092.27	-1.84

क्र.सं.	अनुदान संख्या	अनुदान नाम	मूल बजट	अनुपूरक बजट	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	समर्पित राशि	समर्पण नहीं की गई राशि
33	53	ग्रामीण विकास विभाग	4589.76	160.05	4749.81	2948.66	-1801.15	1676.46	-124.70
34	55	स्वाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग	959.98	0.00	959.98	746.75	-213.23	212.37	-0.87
35	56	उद्योग विभाग	651.49	247.49	898.99	860.51	-38.48	37.82	-0.65
36	58	स्नान विभाग	239.29	0.00	239.29	164.89	-74.40	74.38	-0.02
37	61	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	17.28	3.09	20.37	16.98	-3.39	3.28	-0.11
38	62	परिवहन विभाग	1539.33	₹ 2000	1539.33	918.45	-620.88	620.79	-0.10
39	64	अन्य सामान्य सेवाएँ	88.97	0.00	88.97	78.23	-10.74	10.53	-0.21
		राजस्व प्रभारित							
40	3	ब्याज अदायगियां	37537.83	1580.31	39118.14	38344.64	-773.50	268.36	-505.14
41	5	लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड	69.49	25.75	95.24	84.50	-10.74	10.73	-0.01
42	6	विधि एवं विधिक मामलात विभाग	252.18	0.95	253.13	246.56	-6.57	5.91	-0.66
		पूँजीगत दत्तमत							
43	6	विधि एवं विधिक मामलात विभाग	374.62	0.00	374.62	209.21	-165.41	165.36	-0.05
44	8	सचिवालय	60.00	0.00	60.00	19.77	-40.23	39.44	-0.79
45	11	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग	7.09	0.00	7.09	4.59	-2.50	2.47	-0.03
46	14	राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग	128.00	0.00	128.00	80.26	-47.74	47.71	-0.03
47	26	युवा मामले एवं खेल विभाग	85.58	0.00	85.58	-191.47	-277.06	35.14	-241.91
48	28	विकित्सा शिक्षा विभाग	1561.57	0.00	1561.57	995.58	-565.99	565.29	-0.69
49	30	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	8403.71	₹ 17000	8403.71	5805.47	-2598.24	2535.12	-63.12
50	32	महिला एवं बाल विकास विभाग	34.46	0.00	34.46	3.25	-31.21	31.20	0.00
51	35	अल्पसंख्यक मामलात विभाग	245.45	0.00	245.45	145.04	-100.41	100.40	-0.01
52	40	स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	4613.07	₹ 18000	4613.07	2570.56	-2042.51	2038.55	-3.97
53	41	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	4084.50	98.53	4183.03	3634.38	-548.65	530.86	-17.79
54	43	सिंचित क्षेत्र विकास विभाग	462.60	0.00	462.60	354.71	-107.89	105.38	-2.51
55	45	वन एवं पर्यावरण विभाग	535.88	0.00	535.88	336.88	-199.00	198.92	-0.07
56	51	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशिष्ट संघटक योजना	7429.97	₹ 14000	7429.97	5071.81	-2358.15	2275.91	-82.24
57	52	पंचायती राज संस्थान	14.58	0.00	14.58	-0.28	-14.86	14.35	-0.51
		योग	2,76,538.8	6,541.38	2,83,080.29	2,44,610.97	-36,900.99	36,925.93	-1,543.39

परिशिष्ट 2.8

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.5; पृष्ठ 97)

मार्च 2025 के अंतिम दिन ₹ 50 करोड़ से अधिक की राशि का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान नाम	मूल बजट	पूरक बजट	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	समर्पित राशि
		राजस्व दतमत्						
1	5	लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड	115.64	54.24	169.88	116.18	-53.71	53.67
2	6	विधि एवं विधिक मामलात विभाग	2218.05	₹ 1000	2218.05	1931.95	-286.10	285.21
3	9	निर्वाचन विभाग	552.09	0.00	552.09	493.00	-59.09	59.20
4	10	वणिज्यिक कर विभाग	1211.66	0.00	1211.66	1137.82	-73.83	73.65
5	13	कोष एवं लेखा विभाग	1901.51	₹ 1000	1901.51	1334.97	-566.54	566.52
6	14	राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग	2153.35	313.48	2466.83	2383.43	-83.40	83.40
7	15	पेंशन	28996.56	1223.06	30219.62	29320.13	-899.49	706.90
8	16	राजस्व विभाग	2084.80	₹ 8000	2084.80	1833.50	-251.30	251.06
9	18	गृह विभाग	10202.40	52.88	10255.28	9380.10	-875.17	872.08
10	20	प्रारंभिक शिक्षा विभाग	20603.09	₹ 2000	20603.09	15703.68	-4899.41	4896.09
11	21	माध्यमिक शिक्षा विभाग	26118.44	265.30	26383.75	25372.26	-1011.49	954.13
12	22	उच्च शिक्षा विभाग	2117.04	₹ 5000	2117.04	1782.94	-334.10	334.10
13	27	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	10702.02	0.00	10702.02	9917.85	-784.17	781.82
14	28	चिकित्सा शिक्षा विभाग	3893.46	₹ 6000	3893.46	3541.02	-352.45	350.20
15	29	आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग	1347.02	101.66	1448.68	1279.05	-169.63	169.14
16	30	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	23040.15	922.15	23962.30	20385.80	-3576.50	3547.70
17	31	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	11685.96	₹ 6000	11685.96	10488.53	-1197.43	1198.54
18	32	महिला एवं बाल विकास विभाग	3177.64	₹ 2000	3177.64	2599.40	-578.25	576.02
19	34	श्रम एवं रोजगार विभाग	1929.16	1.52	1930.68	1799.26	-131.42	131.40
20	36	आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग	5300.15	1118.55	6418.70	3683.39	-2735.31	2697.60
21	39	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	89.07	44.95	134.02	73.05	-60.97	60.97
22	40	स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	7753.91	₹ 17000	7753.91	5822.66	-1931.26	1931.25
23	41	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	5588.41	285.17	5873.58	5698.82	-174.76	164.03
24	42	जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	3194.05	28.11	3222.16	3003.88	-218.28	105.01
25	44	सार्वजनिक निर्माण विभाग	2941.36	419.79	3361.15	3178.03	-183.12	220.96
26	45	वन एवं पर्यावरण विभाग	1321.73	0.00	1321.73	976.35	-345.37	345.27
27	46	कृषि विभाग	3475.16	70.18	3545.34	2525.28	-1020.06	1019.93
28	47	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	1509.87	₹ 21000	1509.87	1322.30	-187.56	187.56
29	48	उद्योगिक विभाग	960.06	54.06	1014.12	782.64	-231.48	231.43
30	49	गोपालन विभाग	2026.87	0.00	2026.87	1762.00	-264.87	264.78
31	50	सहकारिता विभाग	1975.01	77.47	2052.48	1903.97	-148.51	148.32
32	51	अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	30295.94	62.88	30358.82	26478.23	-3880.59	3842.31
33	52	पंचायती राज संस्थान	9358.85	0.00	9358.85	7264.74	-2094.11	2092.27
34	53	ग्रामीण विकास विभाग	4589.76	160.05	4749.81	2948.66	-1801.15	1676.46
35	54	ऊर्जा विभाग	17160.62	4023.71	21184.32	20877.78	-306.54	306.54
36	55	स्वाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	959.98	0.00	959.98	746.75	-213.23	212.37
37	58	स्नान विभाग	239.29	0.00	239.29	164.89	-74.40	74.38

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान नाम	मूल बजट	पूरक बजट	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	समर्पित राशि
38	60	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	610.92	0.00	610.92	435.16	-175.76	175.76
39	62	परिवहन विभाग	1539.33	₹ 2000	1539.33	918.45	-620.88	620.79
		राजस्व प्रभारित						
40	3	ब्याज अदायगियां	37537.83	1580.31	39118.14	38344.64	-773.50	268.36
		पूँजीगत प्रभारित						
41	6	विधि एवं विधिक मामलात विभाग	374.62	0.00	374.62	209.21	-165.41	165.36
42	17	सामान्य प्रशासन विभाग	253.79	0.00	253.79	167.71	-86.08	86.08
43	18	गृह विभाग	359.67	18.24	377.91	232.92	-144.99	145.04
44	20	प्रारंभिक शिक्षा विभाग	550.85	69.19	620.05	221.74	-398.31	398.31
45	21	माध्यमिक शिक्षा विभाग	641.28	₹ 1000	641.28	336.64	-304.64	304.64
46	22	उच्च शिक्षा विभाग	624.28	0.00	624.28	444.09	-180.19	180.19
47	27	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	1116.30	57.76	1174.05	1051.61	-122.44	122.44
48	28	चिकित्सा शिक्षा विभाग	1561.57	0.00	1561.57	995.58	-565.99	565.29
49	30	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	8403.71	₹ 17000	8403.71	5805.47	-2598.24	2535.12
50	31	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	186.93	181.64	368.57	156.08	-212.50	212.50
51	34	श्रम एवं रोजगार विभाग	228.66	0.00	228.66	125.31	-103.35	103.35
52	35	अल्पसंख्यक मामलात विभाग	245.45	0.00	245.45	145.04	-100.41	100.40
53	40	स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	4613.07	₹ 18000	4613.07	2570.56	-2042.51	2038.55
54	41	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	4084.50	98.53	4183.03	3634.38	-548.65	530.86
55	42	जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	3362.93	₹ 3000	3362.94	2590.47	-772.46	773.36
56	43	सिंचित क्षेत्र विकास विभाग	462.60	0.00	462.60	354.71	-107.89	105.38
57	45	वन एवं पर्यावरण विभाग	535.88	0.00	535.88	336.88	-199.00	198.92
58	46	कृषि विभाग	149.59	54.72	204.31	148.80	-55.51	55.51
59	51	अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	7429.97	₹ 14000	7429.97	5071.81	-2358.15	2275.91
60	53	ग्रामीण विकास विभाग	1183.57	₹ 1000	1183.57	1050.34	-133.23	133.23
61	54	ऊर्जा विभाग	1089.46	0.00	1089.46	170.00	-919.46	919.46
62	57	पेट्रोलियम विभाग	400.00	0.00	400.00	0.00	-400.00	400.00
63	59	पर्यटन विभाग	257.52	₹ 1000	257.52	45.57	-211.95	211.95
64	60	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	614.94	0.00	614.94	353.51	-261.43	261.43
		पूँजीगत प्रभारित						
65	4	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	160670.80	4917.84	165588.65	152872.21	-12716.44	12716.44
		योग	491880.13	16257.47	508137.60	448803.18	-59334.42	58076.87

परिशिष्ट 2.9

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.6; पृष्ठ 98)

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय में गलत वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान/विभाग का नाम एवं संख्या	गलत वर्गीकृत राशि	लेखा शीर्ष	लेखापरीक्षा अवलोकन
1	41- जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग	22.77	4215- जलापूर्ति एवं सफाई पर पूंजीगत व्यय 01- जलापूर्ति 101- शहरी जल आपूर्ति 07- ग्रीष्मकालीन आकस्मिकता 17- प्रमुख निर्माण कार्य	ग्रीष्मकालीन आकस्मिक निधि नियमित प्रकृति का व्यय है (जिसे लघु मद 2215 के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा)
2.	30- जनजातीय क्षेत्र विकास	5.20	4210- चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय 03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 01- अस्पताल और औषधालय - चिकित्सा शिक्षा 01- मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल समूह, जयपुर 72- आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण और उन्नयन	मरम्मत, तार बदलने और रस्सरसाव से संबंधित कार्य से ठोस परिसंपत्तियों में वृद्धि नहीं होती है। (इसे लघु मद 2210 के अंतर्गत दर्ज किया जाना है)
3.	30- जनजातीय क्षेत्र विकास	133.66	5054- सड़कों और पुलों पर पूंजीगत व्यय 04- जिला और अन्य सड़कें 796- जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 16- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वित्तपोषित सड़कें	भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली पीएमजीएसवाई अनुदान राशि को पूंजी मद के अंतर्गत आरक्षित किया गया है। (इसे लघु मद 3054 के अंतर्गत आरक्षित किया जाना है)
4	44- सार्वजनिक निर्माण विभाग	611.34	5054- सड़कों और पुलों पर पूंजीगत व्यय 04- जिला और अन्य सड़कें 800- अन्य व्यय 22- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वित्तपोषित सड़कें	
5	51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	158.69	5054- सड़कों और पुलों पर पूंजीगत व्यय 04- जिला और अन्य सड़कें 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 13- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वित्तपोषित सड़कें	
		931.66		

परिशिष्ट 2.10

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.7; पृष्ठ 100)

संशोधित अनुमान में प्रावधान कम/कोई बदलाव नहीं (10 करोड़ से अधिक) लेकिन कोई व्यय नहीं हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	लेखा शीर्ष एवं नई योजना का नाम	बजट प्रावधान	संशोधित अनुमान	व्यय
1.	18- गृह विभाग	2055-118-(01)-[01] लाडली सुरक्षा योजना पुलिस विभाग के माध्यम से	13.00	13.00	शून्य
2.	21- माध्यमिक शिक्षा विभाग	2202-02-107-(07) अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	56.54	39.91	शून्य
3.	21- माध्यमिक शिक्षा विभाग	2202-02-109-(30)-[02] प्रतिभाशाली छात्राओं को स्कूटी वितरण	19.63	11.02	शून्य
4.	21- माध्यमिक शिक्षा विभाग	2202-02-110-(08)-[01] कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की फीस का पुनर्भरण	38.16	20.40	शून्य
5.	22- उच्च शिक्षा विभाग	4202-01-203-(11)-[01] सेण्टर ऑफ़ एक्सीलेंस निर्माण कार्य	10.00	10.00	शून्य
6.	30- जनजातीय क्षेत्र विकास	2217-80-192-(55)-[12] शहरी स्वास्थ्य के लिए अनुदान	14.27	14.27	शून्य
7.	30- जनजातीय क्षेत्र विकास	4225-02-796-(11)-[22] अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत जनजातीय विकास	16.00	13.10	शून्य
8.	30- जनजातीय क्षेत्र विकास	5475-796-(18)-[01] राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी विकास एवं ई-गवर्नेंस केंद्र	12.60	14.25	शून्य
9.	31- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2235-02-101-(47)-[01] राज्य दिव्यांग कल्याण निधि	20.00	20.00	शून्य
10.	31- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2235-02-196-(22)-[09] स्वरोजगार के लिए अनुदान	10.00	10.00	शून्य
11.	31- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2235-02-196-(22)-[10] कौशल विकास हेतु अनुदान	10.00	10.00	शून्य
12.	35- अल्पसंख्यक मामलात विभाग	2225-04-277-(02)-[01] अल्पसंख्यक वर्ग छात्राओं को स्कूटी वितरण	12.61	19.23	शून्य
13.	35- अल्पसंख्यक मामलात विभाग	4225-04-102-(01)-[02] प्रधानमंत्री जन विकास परियोजना	85.00	42.50	शून्य
14.	36- आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग	2245-01-104-(09)-[04] पशु शिविर/गोशाला	30.00	10.00	शून्य
15.	36- आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	2245-08-101-(01)-[02] अग्नि से बचाव और रोकथाम	100.00	10.00	शून्य
16.	36- आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	2245-08-101-(01)-[03] सूखे की रोकथाम एवं बचाव	100.00	10.00	शून्य
17.	36- आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग	2245-08-101-(01)-[04] बाढ़ आदि से बचाव एवं रोकथाम	709.40	709.4	शून्य
18.	39- नगरीय विकास एवं आवासन विभाग	2217-80-191-(05) जेडीए के लिए अनुदान	44.95	54.94	शून्य
19.	40- स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	2217-80-192-(55)-[07] प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए नैदानिक बुनियादी ढांचा हेतु सहायता	18.98	18.98	शून्य
20.	40- स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	2217-80-192-(55)-[10] शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र के लिए अनुदान	72.70	72.70	शून्य
21.	41- जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग	4215-01-102-(99)-[03] जल जीवन मिशन	40.00	40.00	शून्य

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	लेखा शीर्ष एवं नई योजना का नाम	बजट प्रावधान	संशोधित अनुमान	व्यय
22.	41- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	4215-01-102-(99)-[18] भीनमाल को पेयजल	13.74	13.74	शून्य
23.	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	4700-39-190-(01)-[01] पूर्वी राजस्थान नहर निगम लिमिटेड	136.00	68.00	शून्य
24.	44- सार्वजनिक निर्माण विभाग	3054-03-337-(04)-[02] आधुनिकीकरण	10.51	10.51	शून्य
25.	45- वन एवं पर्यावरण विभाग	4406-01-101-(14)-[01] वृक्षारोपण	23.35	12.21	शून्य
26.	46- कृषि विभाग	2401-109-(20)-[01] राजस्थान कृषि विकास योजना	13.60	13.60	शून्य
27.	47- पशुपालन विभाग	2403-108-(01)-[01] पशुधन बीमा	11.52	10.50	शून्य
28.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2217-80-192-(55)-[11] शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों के लिए अनुदान	18.87	18.87	शून्य
29.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2225-01-789-(27)-[01] अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण	50.00	22.14	शून्य
30.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4210-01-789-(03)-[90] निर्माण कार्य—आयुर्वेद विभाग	10.70	11.70	शून्य
31.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4406-02-789-(03) बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर	25.00	25.00	शून्य
32.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4575-60-789-(01)-[01] श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना	35.00	11.67	शून्य
33.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4700-39-789-(03)-[01] पूर्वी राजस्थान नहर निगम में विनियोजन	36.00	18.00	शून्य
34.	53- ग्रामीण विकास विभाग	4575-60-800-(01)-[01] श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना	90.00	30.00	शून्य
		योग	1908.13	1429.64	

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखें

परिशिष्ट 2.11

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.7; पृष्ठ 100)

नीतिगत घोषणाएँ जिनमे संशोधित परिव्यय में पूर्ण बजट राशि वापस की गई

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	लेखा शीर्ष एवं नई योजना का नाम	बजट प्रावधान	संशोधित अनुमान
1.	16- राजस्व विभाग	2029-103-(04)-[02] मू-प्रबंध विभाग	7.50	शून्य
2.	17-सामान्य प्रशासन विभाग	2070-003-(05)-[01] सामान्य प्रशासन विभाग	10.00	शून्य
3.	21- माध्यमिक शिक्षा विभाग	2202-02-109-(34)-[01] व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम सामान्य व्यय	3.40	शून्य
4.		4202-01-202-(14)-[01] आधुनिक विद्यालय — निर्माण कार्य	4.78	शून्य
5.	22- उच्च शिक्षा विभाग	2202-03-112-(03)-[01] अन्य संस्थाओं को शोध हेतु सहायता	10.00	शून्य
6.		2202-03-800-(06)-[01] कॉलेज शिक्षा	8.00	शून्य
7.	24- तकनीकी शिक्षा विभाग	4202-02-104-(08)-[01] राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान	16.25	शून्य
8.		4202-02-105-(01)-[01] शैक्षणिक संस्थान की स्थापना का निर्माण कार्य	10.10	शून्य
9.	25- कला एवं संस्कृति विभाग	2205-102-(35)-[01] गांधी अध्ययन केंद्र, जयपुर	1.25	शून्य
10.		2205-102-(35)-[02] गांधी दर्शन संग्रहालय	3.50	शून्य
11.		4202-04-106-(09)-[01] सशस्त्र बल संग्रहालय	32.50	शून्य
12.	26- युवा मामले एवं खेल विभाग	2204-101-(06)-[01] राज्य युवा महोत्सव	6.50	शून्य
13.		2204-104-(11)-[01] खेल विश्वविद्यालय की स्थापना	3.25	शून्य
14.		4202-03-102-(07)-[01] खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्माण कार्य	13.00	शून्य
15.	29- आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग	4210-03-101-(01)-[90] चिकित्सा शिक्षा भवन निर्माण कार्य	5.00	शून्य
16.	30- जनजातीय क्षेत्र विकास	2040-796-(01)-[01] विशेष प्रोत्साहन पैकेज	18.75	शून्य
17.		2070-796-(01)-[01] राजस्थान फ्लाईंग यूनिवर्सिटी की स्थापना	3.00	शून्य
18.		2204-796-(11)-[01] राज्य युवा महोत्सव	1.50	शून्य
19.		2217-05-190-(02)-[25] राजस्थान शहरी परिवहन निगम	15.00	शून्य
20.		2217-80-191-(55)-[03] स्थानीय स्वशासन विभाग	3.15	शून्य
21.		2217-80-191-(56)-[03] स्वच्छ भारत मिशन	6.29	शून्य
22.		2217-80-192-(58)-[03] स्थानीय शासन विभाग	4.45	शून्य
23.		2217-80-192-(59)-[03] स्थानीय शासन विभाग	8.87	शून्य
24.		2217-80-797-(03)-[07] बजट शीर्ष 8229-200-(13) में सेस का अंतरण	70.75	शून्य

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	लेखा शीर्ष एवं नई योजना का नाम	बजट प्रावधान	संशोधित अनुमान
25.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	2217-80-797-(03)-[08] बजट शीर्ष 8229-200-(13) में ग्रीन टैक्स का अंतरण	48.43	शून्य
26.		2217-80-797-(03)-[09] बजट शीर्ष 8229-200-(13) में अधिभार का अंतरण	108.71	शून्य
27.		2220-60-796-(02)-[01] सोशल मीडिया एक्टिविटी	1.87	शून्य
28.		2225-02-796-(25)-[01] जनजातीय विकास कार्यक्रम	70.11	शून्य
29.		2225-02-796-(28)-[01] सीएसएस के संचालन की मॉनिटरिंग	5.00	शून्य
30.		2235-02-196-(02)-[44] स्वयं सिद्धा सेण्टर फॉर एक्सीलेंस	2.00	शून्य
31.		2235-60-196-(09)-[03] परित्यक्ता पेंशन योजना	7.50	शून्य
32.		2235-60-196-(10)-[03] विश्वकर्मा पेंशन योजना	7.50	शून्य
33.		2403-796-(30)-[01] गोपाल क्रेडिट कार्ड	14.00	शून्य
34.		2851-796-(05) राजस्थान स्वादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान	2.00	शून्य
35.		3454-02-190-(01)-[03] राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ़ एडवांस लर्निंग	2.80	शून्य
36.		3454-02-796-(02)-[23] राज संपर्क	5.81	शून्य
37.		4202-02-796-(04)-[01] राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी	3.75	शून्य
38.		4202-03-796-(04)-[01] स्नेल विश्वविद्यालय की स्थापना	3.00	शून्य
39.		4202-04-796-(03)-[01] आर्म्ड फोर्सेज म्यूजियम	7.50	शून्य
40.		4215-01-796-(02)-[74] शहरी जलापूर्ति	4.97	शून्य
41.		4215-01-796-(02)-[75] शहरी जलापूर्ति कोटा एवं बूंदी	8.56	शून्य
42.		4217-60-796-(14)-[01] स्वच्छ भारत मिशन	4.32	शून्य
43.		4225-02-796-(11)-[07] सामुदायिक भवन का निर्माण	2.00	शून्य
44.		4225-02-796-(20)-[35] सामुदायिक वन अधिकारी विकास योजना	2.00	शून्य
45.		4225-02-796-(29)-[01] आधारभूत ढांचे का विकास	105.16	शून्य
46.		4225-02-796-(30)-[01] आधारभूत संरचना विकास के कार्यक्रम	8.67	शून्य
47.		4235-02-796-(05)-[01] स्वयं सिद्धा सेण्टर फॉर एक्सीलेंस	3.00	शून्य
48.		4236-02-796-(02) आंगनबाड़ी केंद्र का रखरखाव	2.37	शून्य
49.		4403-796-(03)-[01] राज्य स्तरीय पॉली पशु चिकित्सा अस्पताल का निर्माण	2.00	शून्य
50.		4801-80-796-(02) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन	35.00	शून्य
51.		4801-80-796-(03) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	33.63	शून्य

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	लेखा शीर्ष एवं नई योजना का नाम	बजट प्रावधान	संशोधित अनुमान
52.	30- जनजातीय क्षेत्र विभाग	4801-80-796-(04) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	49.07	शून्य
53.		4801-80-796-(05) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	48.80	शून्य
54.		4801-80-796-(06) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	40.25	शून्य
55.		4802-02-190-(04)-[03] रिफाइनरी	336.45	शून्य
56.		4802-02-796-(01)-[02] रिफाइनरी क्षेत्र में नमक स्दानों के धारक	1.65	शून्य
57.		5475-796-(10)-[01] ब्लॉक चैन सेण्टर ऑफ़ एक्सीलेंस	1.77	शून्य
58.	31- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	2235-02-102-(10)-[02] शिशु गृह/क्रेच का संचालन	1.00	शून्य
59.		2235-02-196-(22)-[07] लड़कों और लड़कियों को साइकिल	2.32	शून्य
60.		2235-02-196-(23)-[01] आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	5.50	शून्य
61.		2235-60-196-(09)-[01] परित्यक्त पेंशन योजना	32.50	शून्य
62.		2235-60-196-(10)-[01] विश्वकर्मा पेंशन योजना	32.50	शून्य
63.	32- महिला एवं बाल विकास विभाग	2235-02-196-(02)-[42] स्वयं सिद्धा सेंटर फॉर एक्सीलेंस	6.00	शून्य
64.		4235-02-103-(17)-[01] स्वयं सिद्धा सेंटर फॉर एक्सीलेंस	9.00	शून्य
65.		4236-02-800-(09) आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण	7.00	शून्य
66.		4236-02-800-(10) आईसीडीएस मिशन मोड	9.94	शून्य
67.	34- श्रम एवं रोजगार विभाग	2230-03-101-(04)-[01] कौशल संवर्धन	12.00	शून्य
68.		4250-201-(02)-[90] निर्माण कार्य	1.00	शून्य
69.	35- अल्पसंख्यक मामलात विभाग	2225-04-277-(01)-[02] राज्य तकनीकी छात्रवृत्ति	1.25	शून्य
70.		4225-04-800-(01)-[03] निर्माण कार्य	1.50	शून्य
71.	40- स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	2217-05-190-(02)-[03] अजमेर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	4.12	शून्य
72.		2217-05-190-(02)-[23] राजस्थान शहरी परिवहन निगम	67.50	शून्य
73.		2217-80-797-(03)-[01] मोटर वाहन कराधान के अंतर्गत अधिभार	272.58	शून्य
74.		2217-80-797-(03)-[02] हरित कर का स्थानांतरण	186.61	शून्य
75.		2217-80-797-(03)-[03] स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत अधिभार का हस्तांतरण	418.84	शून्य
76.	41- जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग	4215-01-101-(11)-[22] परवन आकोरड पेयजल परियोजना बारां कोटा	25.28	शून्य
77.		4215-01-101-(11)-[23] नवनेरा जल आपूर्ति परियोजना	43.55	शून्य
78.		4215-01-102-(99)-[42] भैंसरोडगढ़ की क्षेत्रीय जल आपूर्ति	6.90	शून्य

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	लेखा शीर्ष एवं नई योजना का नाम	बजट प्रावधान	संशोधित अनुमान
79.	41- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	4215-01-102-(99)-[48] कालीतीर जल आपूर्ति	6.90	शून्य
80.		4215-01-102-(99)-[49] चंबल नदी से अलवर-भरतपुर को सतही जल की आपूर्ति	6.90	शून्य
81.		4215-01-102-(99)-[50] चम्बल नदी से सवाई माधोपुर-नादौती को सतही जल आपूर्ति	6.90	शून्य
82.	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	2700-02-800-(01)-[01] राणा प्रताप सागर बांध	2.40	शून्य
83.	43- सिंचित क्षेत्र विकास विभाग	4700-02-001-(05)-[13] पुनर्जनन/उन्नयन आरआईडीएफ XXIII	2.12	शून्य
84.	45- वन एवं पर्यावरण विभाग	3435-03-102-(10)-[01] सांभर झील प्रबंधन एजेंसी	1.00	शून्य
85.	47- पशुपालन विभाग	4403-101-(14)-[01] पशु चिकित्सालय का निर्माण	1.00	शून्य
86.		4403-101-(16)-[01] पशु चिकित्सालय का निर्माण	5.00	शून्य
87.	49- गोपालन विभाग	2403-800-(02)-[01] गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना	68.00	शून्य
88.	50- सहकारिता विभाग	2425-001-(05)-[01] कमीशन (ऋण माफी)	3.37	शून्य
89.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2040-789-(01)-[01] विशेष प्रोत्साहन पैकेज	22.50	शून्य
90.		2070-789-(01)-[01] राजस्थान फ्लाइंग युनिवर्सिटी की स्थापना	7.00	शून्य
91.		2204-789-(07)-[01] राजस्थान युवा बोर्ड	2.00	शून्य
92.		2210-05-789-(09)-[01] राजमेस	1.53	शून्य
93.		2217-05-190-(02)-[24] राजस्थान परिवहन अवसंरचना विकास निधि	17.50	शून्य
94.		2217-80-191-(55)-[02] स्वच्छ भारत मिशन	4.18	शून्य
95.		2217-80-191-(56)-[02] स्थानीय स्वशासन	8.31	शून्य
96.		2217-80-192-(58)-[02] स्वच्छ भारत मिशन	5.88	शून्य
97.		2217-80-192-(59)-[02] स्वच्छ भारत मिशन	11.72	शून्य
98.		2217-80-797-(03)-[04] बजट मद 8229-200-(13) के अंतर्गत राजस्थान मोटर अधिनियम के उपकर का हस्तांतरण	53.49	शून्य
99.		2217-80-797-(03)-[05] बजट मद 8229-200-(13) के अंतर्गत हरित कर का हस्तांतरण	36.62	शून्य
100.		2217-80-797-(03)-[06] बजट मद 8229-200-(13) के अंतर्गत स्टॉप शुल्क अधिनियम से उपकर का हस्तांतरण	82.19	शून्य
101.		2220-60-789-(01)-[01] सोशल मीडिया गतिविधि	2.38	शून्य
102.		2235-02-196-(02)-[43] स्वयं सिद्धा सेंटर फॉर एक्सीलेंस	2.00	शून्य
103.		2235-60-196-(09)-[02] परित्यक्त पेंशन योजना	10.00	शून्य
104.		2235-60-196-(10)-[02] विश्वकर्मा पेंशन योजना	10.00	शून्य

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	लेखा शीर्ष एवं नई योजना का नाम	बजट प्रावधान	संशोधित अनुमान
105.	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2403-789-(21)-[01] गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना	18.00	शून्य
106.		2851-789-(03) राजस्थान सादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को अनुदान	2.66	शून्य
107.		3454-02-190-(01)-[02] राजस्थान उन्नत शिक्षा संस्थान	3.60	शून्य
108.		3454-02-789-(01)-[23] राज संपर्क	7.47	शून्य
109.		3454-02-789-(06)-[02] राजस्थान जन आधार योजना	5.00	शून्य
110.		4202-02-789-(05)-[01] राजस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान	5.00	शून्य
111.		4202-03-789-(04)-[01] स्नेल विश्वविद्यालय की स्थापना	4.00	शून्य
112.		4202-04-789-(03)-[01] सशस्त्र बल संग्रहालय	10.00	शून्य
113.		4215-01-789-(02)-[74] परवन अकावद पेयजल परियोजना कोटा-बारां-झुंझुनूं	6.55	शून्य
114.		4215-01-789-(02)-[75] नवनेरा जल आपूर्ति परियोजना कोटा-बूंदी	11.28	शून्य
115.		4215-01-789-(03)-[40] मेंसरोडगढ़ ब्लॉक की जल आपूर्ति परियोजना	1.80	शून्य
116.		4215-01-789-(03)-[46] कालीतीर जल आपूर्ति योजना	1.80	शून्य
117.		4215-01-789-(03)-[47] चंबल नदी से अलवर-भरतपुर को जल आपूर्ति	1.80	शून्य
118.		4215-01-789-(03)-[48] सवाई माधोपुर नादौती जल आपूर्ति	1.80	शून्य
119.		4217-60-789-(14)-[01] स्वच्छ भारत मिशन	5.69	शून्य
120.		4235-02-789-(05)-[01] स्वयं सिद्धा सेंटर फॉर एक्सीलेंस	3.00	शून्य
121.		4236-02-789-(01) आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण	1.70	शून्य
122.		4236-02-789-(02) आंगनबाड़ी केंद्र का उन्नयन	2.52	शून्य
123.		4403.-789-(03)-[01] पॉली क्लिनिक पशु चिकित्सालय का निर्माण	3.00	शून्य
124.		4801-80-789-(02) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन	47.50	शून्य
125.		4801-80-789-(03) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन	45.65	शून्य
126.		4801-80-789-(04) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	66.60	शून्य
127.		4801-80-789-(05) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	66.22	शून्य
128.		4801-80-789-(06) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	54.63	शून्य
129.		4802-02-190-(04)-[02] रिफाइनरी	350.00	शून्य
130.		5475-789-(10)-[01] ब्लॉकचेन सेक्टर ऑफ़ एक्सीलेंस	2.28	शून्य
131.	53- ग्रामीण विकास विभाग	4575-02-102-(02)-[01] बृज मेवात क्षेत्र विकास योजना	13.60	शून्य

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	लेखा शीर्ष एवं नई योजना का नाम	बजट प्रावधान	संशोधित अनुमान
132.	54- ऊर्जा विभाग	4801-80-190-(02) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन	167.50	शून्य
133.		4801-80-190-(03) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में विनियोजन	160.96	शून्य
134.		4801-80-190-(04) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	234.85	शून्य
135.		4801-80-190-(05) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	233.52	शून्य
136.		4801-80-190-(06) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में विनियोजन	192.63	शून्य
137.		56- उद्योग विभाग	2040-800-(04)-[01] राजस्थान विनिवेश प्रोत्साहन योजना	33.75
138.	4802-02-800-(01)-[02] नमक स्नान धारक		5.03	शून्य
139.	4851-104-(02)-[01] ई-बाजार का विकास		3.30	शून्य
140.	4885-60-800-(02) जिला औद्योगिक केंद्रों के लिए भवन निर्माण		1.50	शून्य
141.	57- पेट्रोलियम विभाग		4802-02-190-(04)-[01] हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	400.00
142.	58- स्नान विभाग	2853-02-800-(01)-[09] स्नान एवं भूविज्ञान विभाग	43.37	शून्य
143.		4853-01-004-(06)-[90] स्ननिज भवन का निर्माण कार्य	7.87	शून्य
144.	60- सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	2220-60-102-(02)-[01] सोशल मीडिया गतिविधि	8.25	शून्य
145.		3454-02-190-(01)-[01] राजस्थान उन्नत शिक्षा संस्थान	13.60	शून्य
146.		3454-02-203-(01)-[25] राज संपर्क	28.22	शून्य
147.		3454-02-203-(06)-[01] जन आधार ई-वॉलेट	1.36	शून्य
148.		3454-02-203-(15)-[01] राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी विकास और ई-गवर्नेंस केंद्र	2.04	शून्य
149.		5475-800-(08)-[28] राज संपर्क	2.38	शून्य
150.		5475-800-(23)-[01] ब्लॉक चेन सेक्टर ऑफ़ एक्सीलेंस	8.60	शून्य
151.		5475-800-(24)-[01] जन आधार ई-वॉलेट	4.08	शून्य
योग			5,070.18	

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2024-25 के विनियोग साते

परिशिष्ट 2.12

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.7; पृष्ठ 100)

पिछले वर्षों के बजट भाषणों में की गई घोषणाओं का कार्यान्वयन न होना

विभाग का नाम	बजट भाषण का वर्ष	बजट भाषण का पैरा क्रमांक	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा सूचित किए गए कार्यान्वयन न होने के कारण
जल संसाधन विभाग	2019-20	58	211 बड़े बांधों के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और सुरक्षा प्रबंधों के लिए डैम पुनर्वास और सुधार परियोजना (ड्रिप) के लिए प्रस्ताव तैयार करना और उन्हें केंद्रीय सरकार को भेजना तथा ₹ 965 करोड़ खर्च करना।	विभाग ने सूचित (जुलाई 2025) किया कि ड्रिप-II परियोजना के तहत, 211 बड़े डैम की सूची केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को भेजी गई थी, जिनमें से 189 बड़े डैम को केंद्रीय जल आयोग द्वारा राशि ₹ 965.65 करोड़ के लिए चिन्हित किया गया। 31 मार्च 2025 तक ₹ 0.17 करोड़ का व्यय हुआ।
जल संसाधन विभाग	2020-21	137	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के तहत 18 बांधों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण तथा सुरक्षा संबंधित कार्यों पर ₹ 503 करोड़ खर्च किए जाएंगे।	विभाग ने सूचित (जुलाई 2025) किया कि 09 बांधों के लिए ₹ 148.36 करोड़ का कार्य आदेश जारी किया गया था, जिनमें से 07 बांधों का काम पूरा हो चुका है, और 02 बांधों का काम प्रगति पर है। शेष 09 बांधों का काम अभी शुरू होना बाकी है क्योंकि टेंडर प्रक्रिया और बोलियों का मूल्यांकन पूरा नहीं किया जा सका।
जल संसाधन विभाग	2022-23	141(I)	जैसलमेर क्षेत्र में, जहां पक्के गड्ढे क्षतिग्रस्त हो गए हैं, वहां लगभग एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई की सुविधा ₹ 600 करोड़ की लागत से विकसित की जाएगी।	विभाग ने सूचित (जुलाई 2025) किया कि कार्य प्रगति पर है। अब तक केवल ₹ 90.49 करोड़ का व्यय हुआ है।
जल संसाधन विभाग	2023-24	173(IV)	उदयपुर जिले में डाया डैम में पानी का प्रवाह बढ़ाने के लिए टीडी नदी पर जावर एनिकट ₹ 200 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा।	विभाग ने सूचित (जुलाई 2025) किया कि मामले को उच्च अधिकारियों को उनकी सहमति के लिए भेज दिया गया है।
पशुपालन विभाग	2022-23	158	आगामी वर्ष 6 लाख पशु किसानों (पशुपालक) को में पशु बीमा प्रदान कर लाभान्वित किया जाना है, जिसके लिए वर्ष 2022-23 में ₹ 150 करोड़ व्यय किए जाएंगे।	विभाग ने सूचित (जुलाई 2025) कि जीएसटी दर के अंतिम न होने, वित्तीय नियमों के अंतर्गत छूट और जानवरों की उच्च मृत्युदर के कारण किसी भी कंपनी ने बोलियों की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया। जिसके कारण इस योजना को वर्ष 2023-24 में लागू नहीं किया जा सका।
पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग	2021-22	217	पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर में डोला मारू ट्रिस्ट कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष में इसकी डीपीआर तैयार करने के लिए ₹ 10 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस कॉम्प्लेक्स में राजस्थान फोक आर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया जाएगा।	विभाग ने सूचित (जुलाई 2025) किया कि पर्यटक परिसर के लिए भूमि आरक्षित की गई है और पीडीसीओआर द्वारा पीसीआर भी तैयार किया जा चुका है। जैसलमेर जिले को विशेष पर्यटन क्षेत्र के रूप में शामिल करने के लिए पर्यटन मंत्रालय को पत्र लिखा गया था। इस संबंध में कोई और प्रगति उपलब्ध नहीं कराई गई।
उद्योग विभाग	2021-22	99	जोधपुर फार्मा और चिकित्सा उपकरणों के लिए एक हब के रूप में उभर रहा है। जोधपुर में ₹ 5 करोड़ की लागत से एक बायोटेक-फार्मा व्यवसाय इनक्यूबेशन और अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा।	विभागीय ने सूचित (जुलाई 2025) किया कि यह घोषणा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित है। इस संबंध में, रीको ने 23 फरवरी 2022 को कार्यान्वयन हेतु उद्योग विभाग को एक पत्र जारी किया है।
उद्योग विभाग	2022-23	51	रीको के माध्यम से, भिवाड़ी शहर, ग्रेटर भिवाड़ी, मारवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया, जोधपुर-पाली, सीतापुरा-जयपुर, बोरानाडा-जोधपुर और पाली सहित 20 औद्योगिक क्षेत्रों में ₹150 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही, भिवाड़ी शहर और औद्योगिक क्षेत्र में जल निकासी की समस्या को हल करने के लिए ₹100 करोड़ रुपये की लागत से एक मेगा परियोजना शुरू की जाएगी।	विभाग ने सूचित (जुलाई 2025) किया कि परियोजना के लिए बजट आवंटित नहीं किया गया है।
राजस्व विभाग	2023-24	177	11,307 पंचायत मुख्यालयों पर पटवार मुख्यालय स्थापित की स्थापना की दृष्टि	विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि पटवार मंडल के प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी जारी करने का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर लंबित है और पटवार

विभाग का नाम	बजट भाषण का वर्ष	बजट भाषण का पैरा क्रमांक	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा सूचित किए गए कार्यान्वयन न होने के कारण
			से 1035 नए पटवार मंडलों का निर्माण किया जायेगा। इसके साथ ही, 4395 पटवार मंडल (जिनके पास अभी पटवार भवन नहीं है) के लिए दो साल में भवन बनाये जायेगे, इसलिए इसे ₹ 880 करोड़ की लागत से बदला जा सकता है।	मुख्यालय की स्थापना का प्रस्ताव सचिवालय के स्तर पर लंबित है।
आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग	2022-23	22	तारानगर-चूरु में आयुर्वेद महाविद्यालय और भरतपुर में आयुर्वेद नर्सिंग महाविद्यालय खोला जाएगा। टोंक में यूनानी महाविद्यालय के भवन का विस्तार लगभग ₹ 20 करोड़ की लागत से किया जाएगा।	आयुर्वेद कॉलेज तारानगर-चूरु विभाग ने सूचित (जुलाई 2025) किया कि ₹ 4.00 करोड़ RSRDC को हस्तांतरित कर दिए गए हैं, लेकिन टेंडर प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज, भरतपुर विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति लंबित है और ₹ 4 करोड़ कार्यकारी एजेंसी को हस्तांतरित किए गए हैं। यूनानी कॉलेज, टोंक विभाग ने सूचित (जुलाई 2025) किया कि 21 दिसंबर 2023 को यूनानी कॉलेज टोंक के भवन विस्तार कार्य के लिए ₹400 लाख की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी, लेकिन वर्ष 2024-25 में राशि का आवंटन नहीं किया गया। इसलिए कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

चयनित अनुदान 41 और 46 में बजट भाषण के कार्यान्वयन की स्थिति

बजट भाषण का वर्ष	बजट भाषण का पैरा क्रमांक	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा सूचित किए गए कार्यान्वयन न होने के कारण
2021-22	168 (6)	राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बांसवाड़ा जिले में पंचायत समिति घाटोल तथा बांसवाड़ा के 249 गांवों में ₹ 500 करोड़ की लागत से माही बांध से पीने के पानी की परियोजना कार्य शुरू करने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2025 में) कि कार्य आदेश 30 मई 2025 को जारी किया गया तथा वर्तमान में सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।
2021-22	168 (7)	राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बीकानेर जिले में ₹ 708.93 करोड़ रुपये की लागत से श्रीदुर्गरगढ़-लूणकरणसर जल आपूर्ति परियोजना का कार्य शुरू करने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2025 में) कि कार्य आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है और वित्त विभाग के अंतर्गत विचाराधीन है।
2021-22	169 (3)	राज्य सरकार ने आगामी वर्ष में 'जल जीवन मिशन' के तहत हर घर में कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए पहले चरण में राजीव गांधी लिफ्ट नहर से—जोधपुर जिले के फलोदी में 'कांसिंग सिड-मंडोर प्रोजेक्ट' (बीएपी), जोधपुर जिले के 'पिलवा-सादड़ी जंभेश्वर नगर क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना' (लोहावट और देचू), तथा जोधपुर जिले के क्षेत्र में 'मानकलाव-दाइजर-बनाड़' परियोजना (मंडोर-कैरु-ओसियां) का कार्य शुरू करने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (अगस्त-दिसंबर 2025) की काम की धीमी प्रगति के कारण कार्य आदेश रद्द कर दिया गया है और नई निविदा मार्च 2025 में जारी की गई है। इस काम पर अब तक ₹15.81 करोड़ की राशि व्यय की जा चुकी है।
2021-22	178	राज्य सरकार ने घोषणा की कि दौसा स्थित इसरदा बांध परियोजना, सवाई माधोपुर जिले में पेयजल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के दूसरे चरण के तहत, ₹ 12 करोड़ की लागत से एक डीपीआर तैयार कर जयपुर जिले की चाकसू, बस्सी, कोटपुतली, चोमू, जमवारामगढ़, विराटनगर और शाहपुरा तहसीलों के सात कस्बों और 1394 गांवों में, तथा अलवर जिले के उमरेन, रैणी, बानसूर, थानागाजी, राजगढ़, कटूमर और लक्ष्मणगढ़ ब्लॉकों के 4 कस्बों और 1061 गांवों में सतही पेयजल उपलब्ध करने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2025 में) कि डीपीआर तैयार की जा चुकी है और इस कार्य के लिए अब तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।
2022-23	87 (1)	राज्य सरकार ने आने वाले वर्षों में हाड़ौती संभाग में बारां जिले के बारां-अटरू, छबड़ा, किशनगंज, अंता, कोटा जिले के	विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि पैकेज 1 और 2 के लिए कार्य आदेश जारी

बजट भाषण का वर्ष	बजट भाषण का पैरा क्रमांक	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा सूचित किए गए कार्यान्वयन न होने के कारण
		सांगोद, पीपल्दा और झालावाड़ जिले के स्नानपुर, मनोहरथाना के लिए ₹ 3,523 करोड़ की परवन पेयजल परियोजना से संबंधित कार्य शुरू किये जाने की घोषणा की।	किये जा चुके हैं तथा पैकेज 3, 4 और 5 के लिए कार्य आदेश जारी करने की अनुमति पर वर्तमान में वित्त विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है।
2022-23	87 (02) कोटा	राज्य सरकार ने आने वाले वर्ष में कोटा-बूंदी और बारां की पेयजल परियोजना का कार्य नवनेरा बैराज से शुरू किये जाने की घोषणा की, जिसकी लागत ₹1,661 करोड़ होगी।	विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि चारों पैकेजों के लिए आदेश जारी करने की अनुमति वर्तमान में वित्त विभाग के विचाराधीन है।
2022-23	87 (21) जोधपुर	राज्य सरकार ने आने वाले वर्ष में, पाली जिले के 'जनवाई क्लस्टर' की पहली पेयजल परियोजना से संबंधित कार्य ₹ 128 करोड़ की लागत से शुरू किए जाने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि 39 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल की गई है और ₹ 28.14 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
2022--23	88 (13)	राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत धौलपुर जिले में 'राजास्तेड़ा' और धौलपुर पेयजल परियोजना से संबंधित कार्य ₹ 343.39 करोड़ की लागत से शुरू किए जाने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि कार्य आदेश का अनुमोदन और तकनीकी अनुमति लंबित है (जुलाई 2025)।
2022-23	88 (26) अजमेर	राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अजमेर जिले की अराई-किशनगढ़ प्रमुख जल आपूर्ति परियोजना का कार्य ₹419.72 करोड़ की लागत से शुरू करने के प्रस्ताव की घोषणा की।	विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि कार्य आदेश 10 जुलाई 2025 को जारी किया जा चुका है।
2022-23	88 (27) अजमेर	राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत, अजमेर जिले में 'नसीराबाद' की प्रमुख पेयजल परियोजना का कार्य ₹163 करोड़ की लागत से शुरू करने के प्रस्ताव की घोषणा की।	विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
2022-23	88 (28) उदयपुर	राज्य सरकार ने 'जल जीवन मिशन' के तहत डूंगरपुर जिले के चिखली, सीमलवाड़ा और झोंतरी के लिए माही नदी (सतही स्रोत) आधारित पेयजल परियोजना का कार्य ₹ 885.56 करोड़ की लागत से शुरू करने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि पहला पैकेज 30 मई 2025 को और दूसरा पैकेज 2 जून 2025 को आवंटित किया गया था, और कार्य प्रगति पर है।
2022-23	88 (29) उदयपुर	राज्य सरकार ने 'जल जीवन मिशन' के तहत बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी और गंगाड़तलाई के लिए माही नदी-आधारित पेयजल परियोजना की घोषणा की है। इस परियोजना पर ₹ 710.42 करोड़ की लागत से काम शुरू करने के प्रस्ताव की घोषणा की।	विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि पहला पैकेज मई 2025 में आवंटित किया गया था और उस पर काम चल रहा है, जबकि दूसरे पैकेज के लिए अभी तक कार्य आदेश जारी नहीं किया गया है।
2022-23	88 (30) उदयपुर	राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत, बांसवाड़ा जिले में माही बांध पेयजल परियोजना का काम ₹ 620.76 करोड़ की लागत से शुरू करने के प्रस्ताव की घोषणा की।	विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि कार्य आदेश मई 2025 में जारी कर दिया गया है और कार्य प्रगति पर है।
2022-23	88 (31) उदयपुर	राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर एनिकट से सबला और सागवाड़ा में ₹ 427.69 करोड़ की लागत से काम शुरू करने के प्रस्ताव की घोषणा की।	विभाग ने सूचित (दिसंबर 2025) किया कि तकनीकी बोली के मूल्यांकन का कार्य प्रक्रियाधीन है।
2022-23	133 मिशन 4(II)	पहली 100 बाजरा प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए ₹ 40.00 करोड़ का अनुदान दिए जाने की घोषणा की।	विभाग ने सूचित (जुलाई 2025) किया कि कृषि विपणन बोर्ड को बाजरा प्रसंस्करण इकाई के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इससे यह संकेत मिलता है कि बजट की घोषणा बिना उचित मूल्यांकन के की गई थी।

परिशिष्ट 2.13

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.8; पृष्ठ 103)

उप-शीर्ष जहां संपूर्ण व्यय मार्च 2025 में किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष (उप-शीर्ष तक)	मार्च 2025 के दौरान व्यय
1	13- कोष एवं लेखा प्रशासन	2054-800-07 एकल समग्र सरीद पोर्टल	14.25
2	21- माध्यमिक शिक्षा विभाग	2202-02-109-20 गार्गी पुरस्कार / बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार	34.01
3		2202-02-109-37 यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए सहायता	70.00
4	22- उच्च शिक्षा विभाग	2202-03-102-16 डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को अनुदान	31.41
5	30- जनजातीय क्षेत्र विकास	2202-02-796-34 यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए सहायता	14.00
6		2217-80-191-49 राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएँ	25.13
7		2217-80-192-53 राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएँ	23.20
8		2801-80-796-07 कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों में राहत प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सहायता	20.34
9	40- स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	2217-80-191-49 राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएँ	128.07
10		2217-80-192-53 राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएँ	118.21
11	42- जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	4700-24-001-07 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन	11.14
12	45- वन एवं पर्यावरण विभाग	4406-01-070-02 प्रधान मुख्य वन संरक्षक विभाग के माध्यम से	12.32
13	47- पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	2403-108-04 मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना	20.00
14	51- अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2202-02-789-24 यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए सहायता	17.53
15		2210-04-789-01 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	30.39
16		2217-80-191-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	137.13
17		2217-80-191-49 राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएँ	33.24
18		2217-80-192-53 राजस्थान शहरी विकास निधि से संचालित योजनाएँ	30.69
19		2801-80-789-07 कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों में राहत प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सहायता	26.15
20	54- ऊर्जा विभाग	2801-80-190-46 राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड को सहायता	16.75
21		2801-80-190-47- विद्युत निगमों को ब्याज अनुदान के लिए सहायता	18.98
22		2801-80-190-50 कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों में राहत प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सहायता	98.78
23	56- उद्योग विभाग	4885-01-190-01 राजस्थान वित्तीय निगम	10.00
		योग	941.72

परिशिष्ट 2.14

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.5.8; पृष्ठ 103)

वर्ष 2024-25 के दौरान सभी प्रमुख अनुदानों के लिए तिमाही वार व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	2024-25 के दौरान आवंटन	प्रथम तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	मार्च में	2024-25 के दौरान कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चौथी तिमाही का व्यय	मार्च माह का व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में
1.	01	राज्यपाल	33.39	4.84	4.60	4.71	7.90	3.98	22.05	35.82	18.05
2.	02	राज्य विधान मंडल	137.38	17.90	23.01	22.73	42.25	21.94	105.89	39.90	20.72
3.	03	ब्याज अदायगियां	39118.14	7447.00	8345.95	7668.77	14882.93	10360.23	38344.64	38.81	27.02
4.	04	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	165588.65	42089.54	43490.66	31906.78	35385.23	11548.25	152872.21	23.15	7.55
5.	05	लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड	287.43	14.58	19.32	77.62	100.31	31.56	211.83	47.36	14.90
6.	06	विधि एवं विधिक मामलात विभाग	2845.79	692.88	574.50	529.34	590.40	242.26	2387.13	24.73	10.15
7.	07	मंत्रिपरिषद	37.16	4.68	5.60	7.68	10.24	6.55	28.20	36.31	23.24
8.	08	सचिवालय	535.45	94.59	102.56	103.62	144.87	47.40	445.64	32.51	10.64
9.	09	निर्वाचन विभाग	555.66	248.19	103.64	69.94	-87.05	-118.52	334.73	-26.01	-35.41
10.	10	वाणिज्यिक कर विभाग	1249.23	90.54	178.68	489.54	197.42	81.84	956.18	20.65	8.56
11.	11	पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग	271.84	48.33	81.03	58.62	69.08	24.26	257.06	26.87	9.44
12.	12	आबकारी विभाग	211.33	46.89	48.44	50.42	53.62	21.21	199.37	26.90	10.64
13.	13	कोष एवं लेखा विभाग	1916.09	181.05	613.20	103.40	437.39	93.74	1335.04	32.76	7.02
14.	14	राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि	2594.83	452.72	482.76	1089.84	44.05	-182.15	2069.37	2.13	-8.80
15.	15	पेंशन	30239.62	6862.80	7218.19	8357.74	6879.05	1915.22	29317.78	23.46	6.53
16.	16	राजस्व विभाग	2107.62	432.16	431.65	496.36	485.62	194.82	1845.78	26.31	10.55
17.	17	सामान्य प्रशासन विभाग	624.13	77.51	176.43	115.16	142.32	59.50	511.42	27.83	11.63
18.	18	गृह विभाग	10635.20	2330.12	2362.66	2391.84	2414.14	835.47	9498.77	25.42	8.80
19.	19	कारागार विभाग	346.90	59.79	66.19	73.32	89.75	42.54	289.04	31.05	14.72
20.	20	प्रारंभिक शिक्षा विभाग	21226.13	3851.03	3730.79	4244.45	4098.69	2307.13	15924.96	25.74	14.49
21.	21	माध्यमिक शिक्षा विभाग	27041.03	6014.35	6249.88	6747.88	6698.71	2512.95	25710.82	26.05	9.77
22.	22	उच्च शिक्षा विभाग	2747.33	454.09	624.83	548.04	605.81	253.84	2232.78	27.13	11.37
23.	23	संस्कृत शिक्षा विभाग	665.93	151.45	151.58	176.02	162.65	56.13	641.70	25.35	8.75
24.	24	तकनीकी शिक्षा विभाग	471.28	94.27	97.95	99.89	108.97	32.98	401.08	27.17	8.22
25.	25	कला एवं संस्कृति विभाग	152.89	16.87	21.39	22.36	28.95	10.87	89.57	32.32	12.13
26.	26	युवा मामले एवं खेल विभाग	267.04	25.51	50.11	67.93	-185.93	-201.51	-42.39	438.60	475.35
27.	27	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	11876.98	2463.62	2540.99	3034.15	2889.51	969.18	10928.28	26.44	8.87
28.	28	चिकित्सा शिक्षा विभाग	5455.11	962.87	1187.38	1121.83	1264.19	540.71	4536.27	27.87	11.92
29.	29	आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सा विभाग	1500.21	268.05	286.85	324.24	440.06	171.11	1319.20	33.36	12.97
30.	30	जनजातीय क्षेत्र विकास	32366.37	4878.91	6029.62	6072.83	8435.32	3157.21	25416.68	33.19	12.42
31.	31	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	12054.55	2467.08	1835.93	3085.83	3255.76	1051.09	10644.59	30.59	9.87
32.	32	महिला एवं बाल विकास विभाग	3212.14	411.18	584.38	807.42	799.70	218.13	2602.67	30.73	8.38
33.	33	सैनिक कल्याण विभाग	95.37	7.69	15.01	18.92	24.55	15.16	66.18	37.10	22.91
34.	34	श्रम एवं रोजगार विभाग	2159.34	142.70	343.68	1010.32	427.85	169.89	1924.55	22.23	8.83
35.	35	अल्पसंख्यक मामलात विभाग	492.06	54.76	134.55	23.20	132.28	59.03	344.80	38.36	17.12
36.	36	आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग	6428.01	267.01	1257.72	336.95	979.57	-267.96	2841.25	34.48	-9.43
37.	37	देवस्थान विभाग	122.46	4.45	14.38	25.96	44.35	12.90	89.15	49.75	14.47
38.	38	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	161.26	28.36	43.06	28.89	33.02	11.79	133.34	24.77	8.84
39.	39	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	140.89	3.70	3.69	4.15	68.38	8.37	79.92	85.56	10.47
40.	40	स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग	12376.22	1334.88	1585.56	1131.88	2994.01	-35.20	7046.34	42.49	-0.50

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	2024-25 के दौरान आवंटन	प्रथम तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	मार्च में	2024-25 के दौरान कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चौथी तिमाही का व्यय	मार्च माह का व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में
41.	41	जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग	10060.24	1644.16	3041.91	2193.60	2226.28	748.72	9105.95	24.45	8.22
42.	42	जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग	6587.04	401.57	643.01	682.27	3221.57	2541.75	4948.42	65.10	51.36
43.	43	संचित क्षेत्र विकास विभाग	552.27	117.08	82.52	87.73	115.27	38.25	402.60	28.63	9.50
44.	44	सार्वजनिक निर्माण विभाग	11939.71	2277.78	2926.05	1503.51	2262.00	897.83	8969.34	25.22	10.01
45.	45	वन एवं पर्यावरण विभाग	1859.87	164.26	234.09	353.16	443.22	229.77	1194.73	37.10	19.23
46.	46	कृषि विभाग	3749.71	459.34	407.48	871.41	935.72	398.78	2673.95	34.99	14.91
47.	47	पशुपालन एवं मत्स्य विभाग	1571.54	298.39	319.49	362.46	378.10	167.89	1358.43	27.83	12.36
48.	48	उद्यानिकी विभाग	1020.03	95.92	142.80	163.83	385.99	302.00	788.54	48.95	38.30
49.	49	गोपालन विभाग	2076.87	6.07	435.35	205.81	306.26	19.63	953.50	32.12	2.06
50.	50	सहकारिता विभाग	2064.02	484.18	348.64	625.63	454.14	307.87	1912.60	23.74	16.10
51.	51	अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	37788.79	6709.46	8106.18	7423.11	8383.93	2895.24	30622.68	27.38	9.45
52.	52	पंचायती राज संस्थान	9373.44	885.28	2081.12	1643.13	2654.90	977.86	7264.43	36.55	13.46
53.	53	ग्रामीण विकास विभाग	5933.43	805.12	1801.47	376.13	1016.33	365.79	3999.05	25.41	9.15
54.	54	ऊर्जा विभाग	22273.79	4741.94	3861.52	3895.64	8548.68	4220.97	21047.78	40.62	20.05
55.	55	साद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग	962.38	186.91	118.94	103.21	338.42	201.91	747.47	45.28	27.01
56.	56	उद्योग विभाग	976.83	44.02	199.78	243.20	416.00	324.84	903.00	46.07	35.97
57.	57	पेट्रोलियम विभाग	402.71	0.51	0.47	0.52	0.57	0.22	2.07	27.70	10.39
58.	58	स्नान विभाग	247.17	36.73	38.74	41.96	47.40	21.26	164.84	28.76	12.90
59.	59	पर्यटन विभाग	367.43	8.53	8.33	63.93	58.54	13.20	139.33	42.02	9.47
60.	60	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	1225.87	54.26	80.68	317.78	335.89	133.51	788.62	42.59	16.93
61.	61	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	37.55	3.69	3.99	6.57	6.36	3.30	20.62	30.86	16.03
62.	62	परिवहन विभाग	1624.95	185.86	202.26	361.90	147.68	35.75	897.71	16.45	3.98
63.	63	योजना एवं सांख्यिकी विभाग	145.88	26.07	28.44	29.06	32.20	12.68	115.78	27.81	10.95
64.	64	अन्य सामान्य सेवाएँ	115.86	16.34	21.24	20.73	22.66	10.49	80.97	27.98	12.95
		योग	523305.80	104752.43	116252.90	104126.85	127934.07	51153.41	453066.25	28.24	11.29
		कुल व्यय का %		23.12	25.66	22.98	28.24	11.24			

परिशिष्ट 2.15

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.6; पृष्ठ 105)

31 मार्च 2025 तक सीएसएस योजनाओं के एसएनए बैंक खाते में शेष

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना कोड एवं नाम	एसएनए के बैंक खाते में शेष राशि
1	कृषि	4138 - कृषोन्नति योजना	49.61
2	कृषि	4139 - राष्ट्रीय मिशन प्राकृतिक कृषि (सीएसएस)	0.22
3	कृषि	9145 - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	65.57
4	उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण	4048 - राज्य एजेंसियों को साठानों की अंतर्राज्यीय आवाजाही के लिए सहायता और एफपीएस डीलरों के मार्जिन पर एनएफएसए के तहत प्रावधान	0.15
5	पर्यावरण एवं वन	0257 - वन अग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना	0.16
6	पर्यावरण एवं वन	4151 - बाघ और हाथी परियोजना	0.58
7	पर्यावरण एवं वन	9153 - ग्रीन इंडिया मिशन-राष्ट्रीय वृक्षारोपण कार्यक्रम	0.36
8	पर्यावरण एवं वन	9186 - एकीकृत विकास एनओएफ वन्यजीव आवास	0.12
9	साद्य प्रसंस्करण उद्योग	3887 - प्रधानमंत्री सूक्ष्म साद्य प्रसंस्करण उद्यम का निर्माण पीएम-एफएमई	0.02
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2035 - टर्सेरी केयर कार्यक्रम	38.84
11	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3991 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसरचना मिशन (पीएम-भीम)	13.68
12	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4063 - प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सी पूल	19.18
13	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9157 - स्वास्थ्य और विकित्ता शिक्षा के लिए मानव संसाधन	602.26
14	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9158 - राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम)	65.88
15	उच्च शिक्षा	9170 - प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम-उषा)	25.25
16	गृह मामले	3194 - पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	1.35
17	गृह मामले	9161 - सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	20.90
18	कानून एवं न्याय	9174 - न्यायपालिका के लिए अवसरचनात्मक सुविधाएं	4.40
19	सहकारिता मंत्रालय	4008 - प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण	10.16
20	सहकारिता मंत्रालय	4220 - सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से सहकारी समितियों को सुदृढ़ बनाना	1.38
21	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	9150 - जल जीवन मिशन (जेजेएम)/राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	356.06
22	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	9151 - स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण, (डीडब्ल्यूएस)	142.21
23	मत्स्य पालन, पशुपालन और दुधारू पालन मंत्रालय	3890 - प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना(पीएमएमएसवाई)	0.02
24	मत्स्य पालन, पशुपालन और दुधारू पालन मंत्रालय	4123 - पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम सीएसएस	1.09
25	मत्स्य पालन, पशुपालन और दुधारू पालन मंत्रालय	9008 - राष्ट्रीय पशुधन मिशन	2.08
26	मत्स्य पालन, पशुपालन और दुधारू पालन मंत्रालय	9978 - पशुधन जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	0.00
27	आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय	1989 - राज्य/केंद्र शासित प्रदेश घटक की अन्य मदें- पीएमएवाई शहरी	4.35
28	आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय	2000 - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन - राज्य घटक	1.65
29	आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय	4228 - प्रधानमंत्री ई-बस सेवा	0.76
30	आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय	4259 - सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 (सिटी 2.0)	20.00
31	आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय	9478 - 100 स्मार्ट शहरों के विकास का मिशन	116.55
32	आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय	9556 - शहरी पुनर्जीवन मिशन-500 शहर	238.87
33	आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय	9757 - स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) - शहरी	203.38
34	अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय	3674 - प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	8.93
35	अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय	9169 - मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना	0.95
36	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	3640 - संस्थागत प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना	12.16
37	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	3821 - आजीविका संवर्धन के लिए कौशल विकास और ज्ञान जागरूकता	4.23
38	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	3822 - औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण	0.01
39	पंचायती राज	3617 - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए)	20.61
40	ग्रामीण विकास	3163 - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओपीएस)	4.74

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना कोड एवं नाम	एसएनए के बैंक खाते में शेष राशि
41	ग्रामीण विकास	3167 - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)	0.40
42	ग्रामीण विकास	3169 - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)	2.26
43	ग्रामीण विकास	9179 - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	165.01
44	ग्रामीण विकास	9180 - प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण	267.54
45	ग्रामीण विकास	9181 - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	56.99
46	ग्रामीण विकास	9183 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-वाटरशेड विकास घटक	51.12
47	ग्रामीण विकास	9219 - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम	16.22
48	स्कूल शिक्षा और साक्षरता	3667 - समग्र शिक्षा	147.60
49	स्कूल शिक्षा और साक्षरता	3927 - राज्यों के लिए शिक्षण, अधिगम और परिणामों को सुदृढ़ बनाना (एसटीएआरएस)	37.75
50	स्कूल शिक्षा और साक्षरता	4122 - नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)	2.95
51	स्कूल शिक्षा और साक्षरता	4145 - प्रधानमंत्री द्वारा भारत के उत्थान के लिए विद्यालय (पीएम श्री)	72.85
52	स्कूल शिक्षा और साक्षरता	9165 - प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (स्कूलों में मिड-डे मिल का पूर्व राष्ट्रीय कार्यक्रम)	14.48
53	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	2063 - पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति-एससी	0.03
54	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	3817 - मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एसजेइ)	10.00
55	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	3967 - प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम अजय)	31.51
56	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	3968 - अटल बचो अभ्युदय योजना (अन्या)	0.26
57	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	9488 - नागरिक अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (दामा) के प्रवर्तन हेतु तंत्र को सुदृढ़ करना	2.63
58	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	9492 - अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	12.87
59	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	9493 - ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति - पीएम यशस्वी	18.90
60	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण	9494 - ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति - पीएम यशस्वी	50.64
61	जनजातीय मामलात	2068 - विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों का विकास	9.46
62	जनजातीय मामलात	3373 - पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति-जनजाति	44.04
63	जनजातीय मामलात	3380 - प्रधानमंत्री अदि आदर्श ग्राम योजना	116.35
64	जनजातीय मामलात	3548 - जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता	0.98
65	जनजातीय मामलात	4222 - प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)	3.66
66	जनजातीय मामलात	9272 - प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति-आदिवासी	4.19
67	जल संसाधन	2027 - सिंचाई जनगणना	0.07
68	जल संसाधन	2052 - हर स्त्रैत को पानी	0.13
69	जल संसाधन	3703 - राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना-अन्य बेसिन	6.67
70	जल संसाधन	3993 - पीएमकेएसवाई-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय/विशेष परियोजनाएं	5.26
71	जल संसाधन	3994 - पीएमकेएसवाई-कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन	2.06
72	महिला एवं बाल विकास	2661 - निर्भया निधि से वित्त पोषित अन्य योजनाएँ	2.52
73	महिला एवं बाल विकास	3975 - सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 (एकीकृत बाल विकास सेवाएँ - किशोरियों के लिए आंगनवाड़ी सेवाएँ पोषण अभियान योजना, राष्ट्रीय क्रेच योजना)	161.27
74	महिला एवं बाल विकास	3976 - मिशन वात्सल्य (बाल संरक्षण सेवाएँ एवं बाल कल्याण सेवाएँ)	26.30
75	महिला एवं बाल विकास	3979 - संबल (बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वन स्टॉप सेंटर महिला पुलिस स्वयंसेवी महिला हेल्पलाइन नारी अदालत आदि)	2.05
76	महिला एवं बाल विकास	3980 - समर्थ (शक्ति सदन (स्वधार उज्ज्वला विधवा गृह) शक्ति निवास पालना पीएमएमवीवाई का नेशनल हब फॉर वूमन एम्पावरमेंट, जेंडर बजटिंग रिसर्च स्किलिंग ट्रेनिंग मीडिया आदि)	1.36
योग			3,407.10

परिशिष्ट 2.16

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.7; पृष्ठ 108)

चाइल्ड बजट के अंतर्गत उन योजनाओं का विवरण जिनमें व्यय कम हुआ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट प्रावधान (मु+अ)	वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय	उपयोग का प्रतिशत
1	अल्पसंख्यक मामलात विभाग (58)	काली बाई भील मेधावी बालिका स्कूटी योजना (2822)	12.61	0.00	0.00
2	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, उदयपुर (59)	माध्यमिक शिक्षा स्तर के बालक-बालिकाओं के लिए अकादमिक उत्तरेक (1515)	1.00	0.13	13.00
3		छात्रावास भवनों में सौर प्रकाश व्यवस्था और पेयजल सुविधा सहित अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण (1644)	8.15	0.00	0.00
4		मां-बाड़ी केंद्रों का निर्माण, अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सुविधाओं का नवीनीकरण और विस्तार (2629)	6.00	0.00	0.00
5		अनुच्छेद 275 (1) के तहत आश्रम छात्रावासों का नवीनीकरण और निर्माण (1615)	20.00	5.00	25.00
6	बाल अधिकारिता विभाग (259)	बाल गृह/क्रेच का संचालन (2543)	1.45	0.00	0.00
7	विशेष योग्यजन विभाग (244)	विशेष योग्यजनों के लिए खेल कार्यक्रम (338)	0.05	0.01	20.00
8		शारीरिक और विमंदित क्षेत्रों में कार्यकारी स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता-अनुसूचित जनजातियाँ (2589)	0.05	0.00	0.00
9	परिवार कल्याण विभाग (30)	राज लक्ष्मी इकाई योजना (189)	2.00	0.58	29.00
10		शुभ लक्ष्मी योजना (2153)	34.00	11.34	33.35
11	प्रारंभिक शिक्षा विभाग (29)	सरकारी विद्यालयों की कक्षा प्रथम से आठवीं तक के छात्रों को पाठ्यपुस्तकों का निःशुल्क वितरण (2479)	160.00	26.78	16.74
12		समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्टार परियोजना पर पूंजीगत व्यय (2859)	713.38	177.91	24.94
13		सहरिया क्षेत्र में आदिवासी छात्रों की शैक्षिक उन्नति के लिए आर्थिक सहायता (3029)	2.55	0.00	0.00
14		सहरिया क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आर्थिक सहायता (3159)	0.04	0.00	0.00
15		स्कूल वापसी अभियान (2935)	121.03	20.71	17.11
16	महिला अधिकारिता विभाग (56)	बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ (2352)	9.00	0.07	0.78
17		मुख्यमंत्री राजश्री योजना (2460)	320.00	108.36	33.84
18	माध्यमिक शिक्षा विभाग (13)	अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (52)	35.40	6.63	18.73
19		अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (53)	56.54	0.00	0.00
20		अन्य संस्थानों के छात्रों को छात्रवृत्ति (2500)	0.60	0.18	30.00
21		सफाई कार्य में लगे परिवारों के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (1162)	1.75	0.49	28.00
22		सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के मेधावी छात्रों को पुरस्कार (2553)	20.83	1.17	5.62
23		शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निजी विद्यालयों की माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति (3256)	55.31	0.00	0.00
24		माध्यमिक शिक्षा विभाग के माध्यम से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण (2492)	65.00	22.07	33.95
25		राष्ट्रीय प्रतिभा स्कोज परीक्षा (1166)	0.80	0.00	0.00
26		व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (3063)	5.00	0.00	0.00
27		सहरिया क्षेत्र के छात्रों को वित्तीय सहायता (3025)	1.40	0.00	0.00
28		सैनिक स्कूल, झुंझुनू को सहायता (2655)	9.80	3.40	34.69

क्र.सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट प्रावधान (मु+अ)	वर्ष 2024-25 के दौरान व्यय	उपयोग का प्रतिशत
29	मिड-डे मिल विभाग (284)	मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना (3132)	1025.00	225.86	22.04
30	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (42)	आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अंतर्गत क्रेच निर्माण सहित आंगनबाड़ी केंद्रों का उन्नयन एवं रखरखाव (1762)	14.83	0.00	0.00
31		आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण (1761)	10.00	0.00	0.00
32		इंदिरा महिला शक्ति योजना (2772)	20.00	1.03	5.15
33		भवन निर्माण (1140)	4.00	0.68	17.00
34	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (43)	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (2700)	5.50	0.00	0.00
35		काली बाई भील मेघावी बालिका स्कूटी योजना (2822)	50.00	0.00	0.00
36		छात्रावास में रहने वालों के लिए साइकिल वितरण योजना (2541)	2.74	0.05	1.82
37		अनुसूचित जातियों के लिए बुक बैंक (279)	0.12	0.00	0.00
		कुल	2795.93	612.45	

परिशिष्ट 2.17

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.8; पृष्ठ 110)

जेंडर बजट की योजनाओं जिनमें कोई व्यय नहीं हुआ

श्रेणी-अ योजनाएँ

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2024-25	कुल बजट प्रावधान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए प्रावधान	किया गया वास्तविक व्यय
1	कॉलेज शिक्षा विभाग	संकाय विकास अकादमी की स्थापना (3250)	0.01	0.01	0.00
2	परिवार कल्याण विभाग	मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस योजना (3017)	0.06	0.06	0.00
3	सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग	बालिकाओं के लिए छात्रावास भवन (304)	0.01	0.01	0.00
		नारी निकेतन भवन (1228)	0.01	0.01	0.00
		काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (2822)	5000.00	5000.00	0.00
		अनुसूचित जाति की महाविद्यालय स्तर की छात्राओं के लिए छात्रावास भवन का निर्माण (3039)	0.01	0.01	0.00
		अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए छात्रावास भवन का निर्माण (3040)	0.01	0.01	0.00
		अनुसूचित जनजाति की महाविद्यालय स्तर की छात्राओं के लिए छात्रावास भवन का निर्माण (3042)	4.00	4.00	0.00
		परित्यक्त महिला पेंशन योजना (3296)	5000.00	5000.00	0.00
4	महिला आधिकारिता विभाग	धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र (1765)	0.05	0.05	0.00
		चिराली योजना 2494	0.06	0.06	0.00
5	अल्पसंख्यक मामलात विभाग	काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (2822)	1260.55	1260.55	0.00
6	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग	जनजातीय कल्याण कोष के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के महाविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए शैक्षिक उत्प्रेरक (1653)	20.00	20.00	0.00
7	पुलिस विभाग	लाडली सुरक्षा योजना (3303)	2000.00	2000.00	0.00
8	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम (650)	80.00	80.00	0.00
9	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अनुभाग, ग्रामीण विकास विभाग	राजस्थान महिला निधि ऋण सहकारी लिमिटेड (3134)	2000.09	2000.09	0.00
कुल			15364.86	15364.86	0.00

श्रेणी-ब योजनाएं

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2024-25	कुल बजट प्रावधान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए प्रावधान	किया गया वास्तविक व्यय
1	साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग	1. साक्षर भारत अभियान (1047)	0.06	0.04	0.00
		2. महात्मा गांधी पुस्तकालय और वाचनालय (2181)	0.03	0.02	0.00
2	सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल समूह, बीकानेर (04)	1. बीकानेर मेडिकल कॉलेज में निर्माण कार्य (840)	2100.00	819.00	0.00
		2. मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना (3166)	1505.01	722.40	0.00
3	रवींद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल समूह, उदयपुर (06)	1. पीएमएसवाई के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के तृतीय चरण का उन्नयन (2699)	0.06	0.03	0.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2024-25	कुल बजट प्रावधान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए प्रावधान	किया गया वास्तविक व्यय
4	कॉलेज शिक्षा विभाग, (07) जयपुर	1. युवा विकास केंद्र (811)	0.02	0.01	0.00
		2. सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी के आधार पर महाविद्यालय की स्थापना (1843)	0.03	0.02	0.00
		3. कॉलेज शिक्षा विभाग की नवोन्मेषी योजनाएँ (2004)	200.02	122.01	0.00
		4. शैक्षणिक संस्थानों को सहायता (2955)	0.06	0.04	0.00
		5. शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना (2956)	0.02	0.01	0.00
		6. शिक्षा उत्कृष्टता केंद्र (3090)	1000.06	610.04	0.00
		7. अन्य संस्थानों को अनुसंधान हेतु सहायता (3091)	1000.01	500.00	0.00
5	माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर (13)	1. ओबीसी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (53)	5653.74	2544.18	0.00
		2. फारगिल युद्ध के पूर्व सैनिकों के बालक बालिकाओं के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति (54)	0.06	0.02	0.00
		3. राष्ट्रीय प्रतिभा सोज परीक्षा (1166)	80.00	24.00	0.00
		4. छात्र बीमा (1459)	0.03	0.01	0.00
		5. सांस्कृतिक शैक्षिक यात्रा (1460)	0.02	0.01	0.00
		6. मंत्रालय से संबंधित राज्य स्तरीय पुरस्कार (1462)	3.00	0.90	0.00
		7. राज्य में सेना में भर्ती की तैयारी करने के इच्छुक छात्रों के लिए आवासीय सुविधा और प्रशिक्षण (2703)	0.03	0.01	0.00
		8. सहरिया क्षेत्र के छात्रों को आर्थिक सहायता (3025)	140.00	56.00	0.00
		9. माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की फीस की प्रतिपूर्ति (3256)	5530.00	2488.50	0.00
		10. व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (3063)	500.00	250.00	0.00
6	तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर (15)	1. पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (1920)	11.53	3.46	0.00
7	कृषि विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर (18)	1. जल प्रबंधन (428)	0.03	0.01	0.00
		2. किसान सेवा केंद्र सह ग्राम ज्ञान केंद्र के लिए निर्माण (1671)	0.03	0.01	0.00
		3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-वृक्ष जनित तिलहन (2711)	75.00	22.50	0.00
		4. जैविक उत्पाद बोर्ड (3072)	0.07	0.02	0.00
		5. कृषि यंत्रीकरण पर सब्सिडी (3075)	0.03	0.01	0.00
		6. भूमिहीन मजदूरों को सहायता (3077)	0.03	0.01	0.00
		7. जैविक स्रोतों के लिए सहायता (3099)	0.03	0.01	0.00
8	उद्यानिकी विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर (23)	1. ड्रिप सिंचाई योजना के लिए अतिरिक्त अनुदान (994)	0.03	0.01	0.00
		2. राष्ट्रीय कृषि वानिकी और बांस मिशन (2207)	0.06	0.01	0.00
		3. स्वजूर परियोजना (2303)	0.03	0.01	0.00
		4. सूक्ष्म सिंचाई उत्कृष्टता केंद्र (3071)	0.03	0.01	0.00
		5. मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र (3074)	0.04	0.01	0.00
		6. भंडारण हेतु कम लागत वाली प्याज अनुदान (3172)	0.03	0.01	0.00
9	डॉ. संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज और संबद्ध मेडिकल ग्रुप, जोधपुर (25)	1. केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों से संचालित योजनाएँ (2929)	0.06	0.03	0.00
10	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर (28)	1. पीपीपी मोड पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन 2357	0.03	0.01	0.00
		2. मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (3166)	135231.69	64911.21	0.00
11	प्रारंभिक शिक्षा विभाग बीकानेर (29)	1. सहरिया क्षेत्र के आदिवासी वर्ग के छात्रों की शैक्षिक उन्नति के लिए आर्थिक सहायता (3029)	255.00	117.30	0.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2024-25	कुल बजट प्रावधान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए प्रावधान	किया गया वास्तविक व्यय
		2. सहारिया क्षेत्र के आदिवासी वर्ग के छात्रों को बीएसटीसी के लिए आर्थिक सहायता (3159)	4.00	1.84	0.00
12	मत्स्य विभाग, जयपुर (31)	1. नीली क्रांति: एकीकृत विकास और मत्स्य प्रबंधन (2506)	0.02	0.01	0.00
13	जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल समूह, अजमेर (33)	1. केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदानों से संचालित योजनाएँ (2929)	0.12	0.03	0.00
14	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर (43)	1. संबल ग्रामों का विकास (282)	1000.00	300.00	0.00
		2. वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड (360)	10.25	4.61	0.00
15	देवस्थान विभाग, उदयपुर (48)	1. कैलाश मानसरोवर यात्रा (2112)	100.00	40.00	0.00
16	जनजातीय क्षेत्र विकास, उदयपुर (59)	1. जनजातीय कल्याण निधि के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी व्यक्तियों के रोजगार हेतु प्रशिक्षण (1058)	15.95	3.19	0.00
		2. जनजाति कल्याण निधि के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में टीआरआई के माध्यम से कोचिंग (1558)	75.00	24.75	0.00
		3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन (1591)	0.10	0.03	0.00
17	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर (68)	1. ई-संचार (1034)	0.06	0.02	0.00
		2. वाई-फाई हॉटस्पॉट (2106)	0.06	0.02	0.00
		3. राज संपर्क (2202)	4500.00	1350.00	0.00
		4. सोशल मीडिया गतिविधि (2751)	1300.00	390.00	0.00
		5. जन आधार ई वॉलेट (3122)	800.00	240.00	0.00
18	राज्य जल संसाधन योजना विभाग (89)	1. राज्य सहभागी सिंचाई कार्यक्रम (यूरोपीय आयोग) (604)	0.03	0.01	-*
19	स्व-शासन विभाग, जयपुर (91)	1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (2059)	4500.00	2160.00	-*
		2. स्वच्छ भारत मिशन (2335)	0.06	0.03	0.00
20	अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक (95)	1. मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक (112)	13.35	1.34	0.00
21	ऊर्जा विभाग (125)	1. ग्रिड से जुड़े पंप सेटों के सौर ऊर्जाकरण के लिए कुसुम योजना के अंतर्गत सहायता (2916)	0.09	0.04	0.00
22	श्रम विभाग, जयपुर (134)	1. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास (325)	9.01	4.50	0.00
		2. असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सुविधा एवं सूचना केंद्र (2476)	5.57	2.78	0.00
23	रोजगार सेवा विभाग और एआरएमओएल, जयपुर (135)	1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (2777)	0.03	0.01	0.00
		2. संकल्प योजना (2778)	0.03	0.01	0.00
24	जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग, जयपुर (140)	1. मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (2385)	49999.97	12499.99	0.00
		2. राजीव गांधी जल संचय योजना (2753)	0.03	0.01	0.00
25	तकनीकी (प्रशिक्षण) शिक्षा, जोधपुर (150)	1. सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आईटीआई में उन्नयन (2284)	50.00	12.50	0.00
		2. औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) (2727)	1200.00	300.00	0.00
26	राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर (179)	1. खादी प्लाजा (2928)	0.03	0.01	0.00
27	इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर (208)	1. इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर-द्वितीय चरण (1080)	17234.94	8617.47	0.00
28	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अनुभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर (217)	1. इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान (1316)	80.02	24.01	0.00

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/बजट अनुमान (बीई) 2024-25	कुल बजट प्रावधान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए प्रावधान	किया गया वास्तविक व्यय
29	एस.ए.पी. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर (218)	1. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (548)	0.08	0.02	0.00
		2. जिला नवाचार निधि (2827)	5000.00	1500.00	0.00
		3. मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना (3064)	0.03	0.01	0.00
		4. बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड (3141)	74.54	22.36	0.00
30-	चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर (242)	1. स्वास्थ्य शिक्षा भवन (1190)	10.01	3.00	0.00
		2. उष्णकटिबंधीय चिकित्सा एवं विषाणु विज्ञान संस्थान (2938)	0.02	0.01	0.00
31	निदेशालय विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों, जयपुर (244)	4. जिला पुनर्वास (336)	19.05	6.29	0.00
		16. दिव्यांगों के लिए रैंप और लिफ्ट आदि का निर्माण (2047)	0.02	0.01	0.00
		25. दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय (3101)	300.00	99.00	0.00
32	बाल आधिकारिता विभाग निदेशालय, जयपुर (259)	1. क्रेच का संचालन (2543)	145.00	43.50	0.00
कुल			239733.48	100843.30	0.00

* विभाग द्वारा योजना के व्यय से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

परिशिष्ट 2.18
(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.8; पृष्ठ 111)

योजनायें जहाँ बजट अनुमान में प्रावधान किए गए, जिन्हें संशोधित अनुमानों में कम कर दिया गया

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/ बजट अनुमान (बीई) 2024-25	कुल बजट प्रावधान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए प्रावधान	संशोधित अनुमान 2024-25	व्यय जो वास्तविक किया गया व्यय	श्रेणी
1	कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर	2. राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी वितरण योजना (2364)	5636.66	5636.66	2679.37	40.63	अ
		6. कालीबाई भील मेंधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग (12वीं उत्तीर्ण) की छात्राओं के लिए (3177)	16488.88	16488.88	4322.62	2.43	अ
		13. महाविद्यालय शिक्षा विभाग की नवोन्मेषी योजनाएँ (2004)	200.02	122.01	0.01	0.00	ब
		18. अन्य संस्थानों को अनुसंधान हेतु सहायता (3091)	1000.01	500.00	0.01	0.00	ब
2	माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर (13)	7. सहरिया क्षेत्र के छात्रों को वित्तीय सहायता (3025)	140.00	56.00	0.01	0.00	ब
3	तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर (15)	2. पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (1920)	11.53	3.46	0.01	0.00	ब
4	कृषि विभाग, जयपुर (18)	2. राष्ट्रीय साद्य सुरक्षा मिशन- वृक्षों जनित तिलहन (2711)	75.00	22.50	0.00	0.00	ब
5	बागवानी विभाग जयपुर (23)	2. फल बागानों की स्थापना (1412)	100.00	20.00	10.26	2.05	ब
6	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर (28)	3. मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (3166)	135231.69	64911.21	0.00	0.00	ब
7	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर	8. कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (2822)	5000.00	5000.00	2214.00	0.00	अ
		9. परित्यक्त पेंशन योजना (3296)	5000.00	5000.00	0.00	0.00	अ
		10. वरिष्ठ नागरिक कल्याण बोर्ड (360)	10.25	4.61	0.08	0.00	ब
8	देवस्थान विभाग, उदयपुर (48)	3. कैलाश मानसरोवर यात्रा (2112)	100.00	40.00	0.00	0.00	ब
9	महिला अधिकारिता विभाग, जयपुर (56)	4. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (2352)	900.04	900.04	460.06	7.32	अ
10	जनजातीय क्षेत्र विकास, उदयपुर (59)	3. जनजातीय कल्याण कोष के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र के महाविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए शैक्षिक उत्प्रेरक (1653)	20.00	20.00	10.00	0.00	अ
11	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर	5. राज संपर्क (2202)	4500.00	1350.00	0.00	0.00	ब
		6. सोशल मीडिया गतिविधि (2751)	1300.00	390.00	0.00	0.00	ब
		8. जन आधार ई वॉलेट (3122)	800.00	240.00	0.00	0.00	ब
12	तकनीकी (प्रशिक्षण) शिक्षा, जोधपुर (150) (68)	1. सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आईटीआई में उन्नयन (2284)	50.00	12.50	0.00	0.00	ब
		2. औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (2727)	1200.00	300.00	0.00	0.00	ब
13	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम, राजस्थान (178)	1. राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम (650)	80.00	80.00	0.00	0.00	अ
14	इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर (208)	1. इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर-द्वितीय चरण (1080)	17234.94	8617.47	0.00	0.00	ब
15		5. जिला नवाचार कोष (2827)	5000.00	1500.00	0.00	0.00	ब

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	प्रावधान/ बजट अनुमान (बीई) 2024-25	कुल बजट प्रावधान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए प्रावधान	संशोधित अनुमान 2024-25	व्यय जो वास्तविक किया गया व्यय	श्रेणी
	एस.ए.पी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर (218)	7. बंजर भूमि और चारागाह विकास बोर्ड (3141)	74.54	22.36	0.00	0.00	ब
16	निदेशालय विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों, जयपुर (244)	4. जिला पुनर्वास (336)	19.05	6.29	0.52	0.00	ब
17	बाल अधिकारिता निदेशालय, जयपुर (259)	1. क्रेच का संचालन (2543)	145.00	43.50	0.01	0.00	ब
कुल			200317.61	111287.49	9696.96	52.43	

परिशिष्ट 2.19

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.8; पृष्ठ 111)

ऐसे मामले जिनमें पिछले दो/तीन वर्षों के दौरान संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किया गया

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	2024-25	2023-24	2022-23
1	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (43)	3. काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (2822)	5000.00	1156.14	0.00
2	अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जयपुर (58)	3. काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना (2822)	1260.55	930.00	0.00
3	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम (178)	1. राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम (650)	80.00	0.00	70.00
4	रवींद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल समूह, उदयपुर (06)	1. पीएमएसवाई के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के तीसरे चरण का उन्नयन (2699)	0.03	348.11	345.46
5	माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर (13)	8. सहरिया क्षेत्र के छात्रों को आर्थिक सहायता (3025)	56.00	56.00	0.00
6	तकनीकी शिक्षा विभाग, जोधपुर (15)	1. पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (1920)	3.46	3.46	0.00
7	कृषि विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर (18)	1. जल प्रबंधन (428)	0.01	0.00	9000.01
		2. किसान सेवा केंद्र सह ग्राम ज्ञान केंद्र के लिए निर्माण (1671)	0.01	0.00	1800.00
		4. जैविक उत्पाद बोर्ड (3072)	0.02	150.00	0.00
		7. जैविक कृषि के लिए सहायता (3099)	0.01	150.00	0.00
8	विकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, सी-स्कीम, जयपुर (28)	2. मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (3166)	64,911.21	56,574.59	0.00
9	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर (43)	1. संबल ग्रामों का विकास (282)	300.00	285.00	0.00
10	जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, उदयपुर (59)	1. जनजातीय कल्याण निधि के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी व्यक्तियों के रोजगार के लिए प्रशिक्षण (1058)	3.19	2.92	2.00
		3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का संचालन (1591)	0.03	0.03	0.03
11	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर (68)	1 ई-संचार (1034)	0.02	93.61	0.00
		2. वाई-फाई हॉटस्पॉट (2106)	0.02	0.02	225.01
12	अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक (95)	1. मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी अनुसंधान संस्थान, टोंक (112)	1.34	2.30	0.00
13	श्रम विभाग, जयपुर (134)	1. बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास (325)	4.50	4.50	4.51
		2. असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सुविधा एवं सूचना केंद्र (2476)	2.78	2.50	2.32
14	जलग्रहण विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग, जयपुर (140)	2. राजीव गांधी जल संचय योजना (2753)	0.01	10375.00	0.00
15	तकनीकी (प्रशिक्षण) शिक्षा, जोधपुर (150)	1. सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मॉडल आईटीआई में उन्नत करना (2284)	12.50	12.50	12.50
		2. औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढीकरण (स्ट्राइव) (2727)	300.00	300.00	650.00
16	इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर (208)	1. इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर-द्वितीय चरण (1080)	8617.47	5911.41	0.00
17	स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अनुभाग, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर (259)	1. इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान (1316)	24.01	0.00	22.34

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना का नाम	2024-25	2023-24	2022-23
18	एस.ए.पी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर (218)	1. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (548)	0.02	0.00	2076.45
		2. जिला नवाचार निधि (2827)	1500.00	0.00	255.00
19	चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जयपुर (242)	1. स्वास्थ्य शिक्षा भवन (1190)	3.00	3.00	0.00
20	निदेशालय विशेष योग्यजन (244)	4. जिला पुनर्वास (336)	6.29	14.14	17.15
		16. विशेष योग्यजनों के लिए रैंप और लिफ्ट आदि का निर्माण (2047)	0.01	66.00	66.00
21	निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर (244)	1. क्रेच का संचालन (2543)	43.50	43.50	52.20
कुल			82,129.99	76,484.73	14600.98

परिशिष्ट 3.1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.2.2; पृष्ठ 119)

नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत अंशदान और निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

अवधि	प्रारंभिक जमा	कर्मचारी अंशदान एमएच-8011	नियोक्ता अंशदान एमएच-2071	कुल	स्थानांतरित कर्मचारी अंशदान	हस्तांतरित नियोक्ता अंशदान	कुल हस्तांतरित राशि	अहस्तांतरित अंशदान
1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7	8=(6+7)	9=(5-8)
2011-12	0	198.78*	0	198.78	50.86	50.86	101.72	97.06
2012-13	97.06	0	0	97.06	48.53	48.53	97.06	0
2012-13 #	0	204.01	157.86	361.87	157.86	157.86	315.72	46.15
2013-14	46.15	247.56	206.43	500.14	206.43	206.43	412.86	87.28
2014-15	87.28	363.62	355.49	806.39	355.49	355.49	710.98	95.41
2015-16	95.41	501.22	516.83	1,113.46	516.83	516.83	1,033.65	79.81
2016-17	79.81	681.72	698.61	1,460.14	698.61	698.61	1,397.22	62.92
2017-18	62.92	1156.63	1081.97	2301.52	1081.97	1081.97	2163.94	137.58
2018-19	137.58	1765.47	1797.53	3700.58	1797.53	1797.53	3595.07	105.51
2019-20	105.51	1930.12	1952.72	3988.35	1952.72	1952.72	3905.43	82.92
2020-21	82.92	2172.58	2132.49	4387.99	2132.49	2132.49	4264.98	123.01
2021-22 (दिसंबर 2021 तक)	123.01	1881.40	1911.14	3915.55	1911.14	1911.14	3822.28	93.27
राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अंशदान (एमएच-8342-00-117-(03)-01)								
2021-22 (जनवरी-मार्च 2022)	0.00	684.47	0.00	684.47	0.00	0.00	0.00	684.47
कुल अहस्तांतरित एनपीएस अंशदान								777.74

* नियोक्ता अंशदान सहित

मद संख्या 2071-01-117-01-89 से सरकारी अंशदान की एकमुश्त निकासी दिनांक 01.04.2012 से प्रभावी।

परिशिष्ट 3.2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 134)

एसी बिलों का विवरण जिनमें चालान के माध्यम से महत्वपूर्ण/सम्पूर्ण राशि वापस जमा की गई

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	शीर्ष	एसी बिल नं.	एसी बिल दिनांक	एसी बिल राशि	डीसी बिल राशि	चालान के माध्यम से जमा की गई राशि	चालान राशि का एसी बिल राशि से प्रतिशत
1	2015-106-01-57	48866573	11/6/2023	1000000	0	1000000	100
2	2055-109-11-01-20	49063222	11/16/2023	100000	0	100000	100
3	2055-109-11-01-20	49063176	11/16/2023	100000	0	100000	100
4	2055-109-11-01-20	49063187	11/16/2023	100000	0	100000	100
5	2055-109-11-01-20	49063151	11/16/2023	100000	0	100000	100
6	2055-109-11-01-20	49104583	11/20/2023	1000000	0	1000000	100
7	2055-109-11-01-20	51379005	4/9/2024	100000	0	100000	100
8	2055-109-11-01-20	51422949	4/12/2024	100000	0	100000	100
9	2055-109-11-01-20	51470594	4/16/2024	100000	0	100000	100
10	2055-109-11-01-20	51472411	4/16/2024	100000	0	100000	100
11	2055-109-11-01-20	49104163	11/20/2023	1000000	0	1000000	100
12	2055-109-11-01-20	49104325	11/20/2023	1000000	0	1000000	100
13	2055-109-11-01-20	49104372	11/20/2023	1000000	0	1000000	100
14	2055-109-11-01-20	49104500	11/20/2023	1000000	0	1000000	100
15	2055-109-11-01-20	49104551	11/20/2023	1000000	0	1000000	100
16	2055-109-11-01-20	51502490	4/20/2024	1000000	0	1000000	100
17	2055-109-11-01-20	51502497	4/20/2024	1000000	0	1000000	100
18	2055-109-11-01-20	49139225	11/21/2023	100000	0	100000	100
19	2055-109-11-01-20	49139293	11/21/2023	100000	0	100000	100
20	2055-109-11-01-20	49139235	11/21/2023	100000	0	100000	100
21	2055-109-11-01-20	49139274	11/21/2023	100000	0	100000	100
22	2015-105-01-57	51450993	4/15/2024	900000	0	900000	100
23	2055-109-11-01-20	51495947	4/19/2024	1000000	0	1000000	100
24	2015-105-01-57	51400045	4/10/2024	765000	0	765000	100
25	2015-105-01-57	51400038	4/10/2024	1300000	0	1300000	100
26	2055-109-11-01-20	51519500	4/23/2024	1000000	0	1000000	100
27	2055-109-11-01-20	51519498	4/23/2024	1000000	0	1000000	100
28	2015-105-01-57	51522591	4/23/2024	600000	0	600000	100
29	2055-109-11-01-20	51376589	4/9/2024	1000000	0	1000000	100
30	2055-109-11-01-20	51376483	4/9/2024	1000000	0	1000000	100
31	2055-004-01-40	52713094	9/6/2024	60000	0	60000	100
32	2012-104-01-01-28	52375945	7/30/2024	75000	0	75000	100
33	2204-102-01-02-29	53282710	11/28/2024	10917	0	10917	100
34	2204-102-01-02-29	53196484	11/14/2024	23525	215	23310	99.09
35	2055-109-10-01-20	51496985	4/19/2024	400000	7206	392794	98.20
36	3425-01-800-05-57	49933897	1/4/2024	95550	3045	92505	96.81
37	2204-102-01-03-29	52817706	9/23/2024	83591	6910	76681	91.73
38	2204-102-01-03-29	51936978	6/7/2024	137073	17023	120050	87.58
39	2055-109-11-01-20	49063234	11/16/2023	100000	12683	87317	87.32
40	2055-109-11-01-20	51481158	4/17/2024	1000000	172959	827041	82.70

क्र.सं.	शीर्ष	एसी बिल नं.	एसी बिल दिनांक	एसी बिल राशि	डीसी बिल राशि	चालान के माध्यम से जमा की गई राशि	चालान राशि का एसी बिल राशि से प्रतिशत
41	2055-109-11-01-20	49104622	11/20/2023	1000000	199446	800554	80.06
42	2055-109-11-01-20	51324478	4/5/2024	1000000	204097	795903	79.59
43	2055-109-11-01-20	51495780	4/19/2024	1000000	209243	790757	79.08
44	2204-102-01-02-29	53205353	11/18/2024	29540	6300	23240	78.67
45	2015-105-01-57	51481574	4/17/2024	800000	200100	599900	74.99
46	2055-109-11-01-20	51373703	4/9/2024	1000000	261592	738408	73.84
47	2204-102-01-03-29	52790402	9/18/2024	112448	29647	82801	73.63
48	2055-109-11-01-20	49104084	11/20/2023	1000000	269242	730758	73.08
49	2055-109-11-01-20	51451138	4/15/2024	300000	82809	217191	72.40
50	2055-109-10-01-20	51381638	4/9/2024	1000000	301712	698288	69.83
51	2204-102-01-02-29	52137851	7/2/2024	173280	52641	120639	69.62
52	2204-102-01-03-29	49926458	1/4/2024	13632	4279	9353	68.61
53	2055-109-11-01-20	49177732	11/23/2023	1000000	325743	674257	67.43
54	2015-105-01-57	51431592	4/12/2024	500000	164350	335650	67.13
55	2204-102-01-03-29	51569261	4/30/2024	86986	30457	56529	64.99
56	2204-102-01-02-29	52034443	6/20/2024	13335	4785	8550	64.12
57	2204-102-01-02-29	53401697	12/14/2024	196413	70968	125445	63.87
58	2015-105-01-57	51518768	4/23/2024	800000	293000	507000	63.38
59	2055-109-11-01-20	51373482	4/9/2024	1000000	376893	623107	62.31
कुल				31776290	3307345	28468945	

परिशिष्ट 3.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.6; पृष्ठ 136)

31 मार्च 2025 तक ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक शेष राशि वाले पीडी खातों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	पी.डी. खाता सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम	कोषालय का नाम और कोड	अंतिम शेष
1.	6216	जिला स्वनिज फाउंडेशन ट्रस्ट निधि	भीलवाड़ा(8)	116.21
2.	3486	उप प्रबंधक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक	जयपुर शहर (18)	521.96
3.	5815	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम		148.88
4.	3398	राजस्थान भवन निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल		1209.00
5.	18820	पंचायती राज विभाग	जयपुर सचिवालय(21)	169.80
6.	18892	आयुक्त उद्यानिकी		135.87
7.	18941	पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम		550.87
8.	3792	निदेशक एवं परियोजना निदेशक शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम		186.23
9.	3798	प्रबंध निदेशक एवं वित्त सलाहकार राजस्थान राज्य पुल/सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड		717.72
10.	3821	महाप्रबंधक/कार्यकारी प्रबंधक राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम		465.44
11.	3824	वित्त सलाहकार/वित्त प्रबंधक राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनिवेश निगम लिमिटेड		191.30
12.	3831	प्रबंध निदेशक राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड		119.06
13.	3988	निदेशक सर्व शिक्षा अभियान		217.15
14.	4008	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी		495.46
15.	5303	राजस्थान शहरी अवसंरचना वित्त एवं विकास निगम		291.72
16.	5304	जयपुर मेट्रो रेल निगम (जेएमआरसी)		154.26
17.	5669	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड		612.57
18.	5756	राजस्थान राज्य विद्युत वित्त निगम लिमिटेड		616.17
19.	592	प्रबंध निदेशक राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड		991.55
20.	6330	राजस्थान विकित्सा शिक्षा सोसायटी		222.10
21.	6897	राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी		144.55
22.	1001	आयुक्त जनजातीय क्षेत्र विकास	उदयपुर(38)	375.65
23.	6215	जिला स्वनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, उदयपुर	उदयपुर ग्रामीण(41)	159.99
		कुल		8,813.50

परिशिष्ट 3.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.6; पृष्ठ 136)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिनके निजी निक्षेप खाते में वर्ष 2024-25 के दौरान "शून्य" राशि शेष रही

क्र.सं.	पीडी खाता संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम	कोषालय का नाम और कोषालय कोड
1	473	पुनर्भुगतान गृह निर्माण अग्रिम ऋण	अजमेर(1)
2	480	जिला आयुर्वेद अधिकारी	
3	7016	सहायक औषधि नियंत्रक (आयुर्वेद)	
4	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	
5	6337	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	
6	18701	सहायक निदेशक, उद्यानिकी, अजमेर	
7	169	संरक्षण अधिकारी महिला अधिकारिता विभाग	अलवर(2)
8	6338	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	
9	6736	राजकीय महाविद्यालय, भास्करपल नगर, अलवर	
10	474	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	
11	10	सहायक निदेशक, उद्यानिकी	
12	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	बांसवाड़ा(3)
13	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	
14	474	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	
15	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	
16	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	
17	18710	सहायक निदेशक, उद्यानिकी, बारां	बारां(4)
18	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण (पुराना 31.3.04)	
19	1246	उप निदेशक (बाल विकास) आईसीडीएस, डीडब्ल्यूडीए	
20	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	
21	6149	राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बारां	
22	474	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	बाड़मेर(5)
23	476	नवीन एम्.सी.ए.. एसबीबीजे	
24	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण (पुराना 31.3.04)	
25	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	
26	19131	राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय कुम्हेर (भरतपुर)	भरतपुर(7)
27	6838	औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, गोपालगढ़	
28	2250	जिला कलेक्टर एवं अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास	
29	6342	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	
30	6741	राजकीय महाविद्यालय नगर भरतपुर	
31	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	भीलवाड़ा(8)
32	6872	राजकीय महाविद्यालय पहाड़ी भरतपुर	
33	474	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	
34	6905	राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना भीलवाड़ा	
35	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	बीकानेर(9)
36	18714	सहायक निदेशक, उद्यानिकी, बीकानेर	
37	5585	जिला आयुर्वेद अधिकारी	
38	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	बूंदी(10)
39	18715	सहायक निदेशक उद्यानिकी, बूंदी	
40	18716	सहायक निदेशक, उद्यानिकी, चित्तौड़गढ़	
41	6346	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	चित्तौड़गढ़(11)
42	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	
43	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	
44	480	जिला आयुर्वेद अधिकारी	
45	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	दौसा(13)
46	18718	सहायक निदेशक, उद्यानिकी, दौसा	
47	6265	प्रधानाचार्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय धौलपुर	धौलपुर(14)
48	18719	सहायक निदेशक, उद्यानिकी, धौलपुर	
49	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	
50	2550	श्रमिक प्रतिपूर्ति आयुक्त एवं श्रम कल्याण विभाग, डूंगरपुर	डूंगरपुर(15)
51	6904	राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना गंगानगर	

क्र.सं.	पीडी खाता संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम	कोषालय का नाम और कोषालय कोड
52	18721	सहायक निदेशक, बागवानी, गंगानगर	गंगानगर(16)
53	6353	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	हनुमानगढ़(17)
54	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण (पुराना 31.3.04)	
55	4908	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - सांगानेर	
56	19319	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	जयपुर शहर(18)
57	4886	राजस्थान स्टेट फ्लाईंग स्कूल, जयपुर	
58	4899	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी -आमेर	
59	4927	सरकारी महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, सांगानेर	
60	4205	एन आई एम टी विश्वविद्यालय	जयपुर ग्रामीण(20)
61	6316	राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल	
62	6858	राजकीय कॉलेज विराट नगर जयपुर	
63	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	
64	4928	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सांगानेर	जयपुर सचिवालय(21)
65	6761	शिवचरण माथुर सामाजिक नीति अनुसंधान संस्थान	
66	6823	निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर	
67	18889	पंद्रहवां केंद्रीय वित्त आयोग	
68	3929	परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना निदेशक	जैसलमेर(22)
69	6087	राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निधि	
70	3781	निदेशक/सचिव, विकास अध्ययन संस्थान	
71	4425	उप निदेशक, पशुपालन	
72	4426	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	जालौर(23)
73	18724	सहायक निदेशक, उद्यानिकी, जैसलमेर	
74	4423	जिला कलेक्टर, जैसलमेर (गैर सरकारी निधि)	
75	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण (पुराना 31.3.04)	
76	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	झालावाड़(24)
77	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण (पुराना 31.3.04)	
78	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	झुंझुनू(25)
79	474	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	
80	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	जोधपुर शहर(26)
81	18727	सहायक निदेशक, उद्यानिकी, झुंझुनू	
82	474	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	जोधपुर ग्रामीण(27)
83	18528	राजकीय महाविद्यालय कुड़ी भगतासनी जोधपुर	
84	18728	उप निदेशक उद्यानिकी, जोधपुर	करौली(28)
85	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण (पुराना 31.3.04)	
86	6360	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	कोटा(29)
87	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	
88	18729	सहायक निदेशक, उद्यानिकी, करौली	नागौर(30)
89	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	
90	18730	उप निदेशक उद्यानिकी, कोटा	पाली(31)
91	4411	कर्नल/उप कर्नल, नागरिक सुरक्षा, रावतभाटा	
92	5639	क्षेत्रीय/मंडल संस्कृत शिक्षा अधिकारी	नागौर(30)
93	6844	राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर	
94	19182	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नावा (नागौर)	नागौर(30)
95	6307	ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, मोलासर	
96	6565	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल लाडनू नागौर	नागौर(30)
97	2666	वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी सह ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी मकराना	
98	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण (पुराना 31.3.04)	नागौर(30)
99	18731	सहायक निदेशक, उद्यानिकी, नागौर	
100	6843	राजकीय महाविद्यालय परबतसर नागौर	पाली(31)
101	2728	संरक्षण अधिकारी, जिला महिला विकास एजेंसी(डी डब्ल्यूडी ए)	
102	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	पाली(31)
103	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	
104	6903	राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना पाली	पाली(31)
105	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	
106	6569	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल जेतारण पाली	पाली(31)
107	7008	राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जालौर (कैंप पाली)	

क्र.सं.	पीडी खाता संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम	कोषालय का नाम और कोषालय कोड
108	1848	प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय, जैतारण	
109	474	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	
110	6663	परियोजना कार्यन्वयन इकाई (आर.यु. आई.डी.पी.) पाली	
111	6706	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आरजीएवीपी) पाली	
112	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	प्रतापगढ़(32)
113	474	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	
114	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	
115	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण (पुराना 31.3.04)	
116	18734	सहायक निदेशक, उद्यानिकी, राजसमंद	राजसमंद(33)
117	6366	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	सवाई माधोपुर(34)
118	5811	नगर विकास न्यास	
119	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण (पुराना 31.3.04)	
120	18735	सहायक निदेशक, उद्यानिकी, सवाई माधोपुर	
121	6907	राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना, सवाई माधोपुर	
122	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	
123	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	सीकर(35)
124	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	
125	18736	सहायक निदेशक, उद्यानिकी, सीकर	सिरोही(36)
126	6659	परियोजना कार्यन्वयन इकाई, ((आर.यु. आई.डी.पी.), माउंट आबू	
127	18692	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	
128	6368	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	
129	474	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	उदयपुर(38)
130	1060	निदेशक जिला महिला विकास एजेंसी (आई.सी.डी.एस.)	
131	18739	उप निदेशक उद्यानिकी उदयपुर	उदयपुर ग्रामीण(41)
132	473	पुनर्भूगतान गृह निर्माण अग्रिम ऋण	
133	6599	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल सारदा उदयपुर	अनूपगढ़(42)
134	2036	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - रायसिंहनगर	
135	19659	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा अनुपगढ़	
136	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	
137	5831	प्रधानाचार्य राजकीय	
138	6819	अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, छतरगढ़ (बीकानेर)	
139	1281	कृषि उपज मंडी समिति (जमा) आरएसएनआर	
140	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	
141	479	नई पेंशन अंशदान	
142	5635	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - राजवाला	
143	6847	राजकीय महाविद्यालय छतरगढ़ बीकानेर	
144	2038	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - अनूपगढ़	
145	5627	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - घड़साना	
146	5967	राजकीय महाविद्यालय - अनूपगढ़	
147	6533	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल अनुपगढ़ श्रीगंगानगर	
148	6313	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - श्रीविजयनगर	
149	18498	राजकीय महाविद्यालय सावर अजमेर	केकड़ी(44)
150	19074	प्राचार्य राजकीय आयुर्वेद योग एवं प्राकृत चिकित्सा महाविद्यालय केकड़ी अजमेर	
151	408	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-केकड़ी	
152	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण	
153	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	
154	479	नई पेंशन अंशदान	
155	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	
156	18767	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टाटोटी (अजमेर)	
157	19018	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-सावर	
158	4304	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-टोडा रायसिंह	
159	431	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - केकड़ी	
160	435	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - मिनाय	
161	6378	राजकीय महाविद्यालय टोडा रायसिंह (टोंक)	
162	5157	अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान - केकड़ी	
163	6321	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - सरवाड़	
164	6590	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल, टोडा रायसिंह टोंक	
165	5866	प्रधानाचार्य राजकीय बालिका महाविद्यालय, सरवर	

क्र.सं.	पीडी खाता संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम	कोषालय का नाम और कोषालय कोड
166	19666	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, केकड़ी	
167	19146	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नगर (भरतपुर)	डीग(45)
168	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	डीडवाना-कुचामन(46)
169	6177	प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय मंगलाना	
170	6715	प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय दूदू जयपुर	
171	19664	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा दूदू	
172	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण	
173	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	
174	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	(47)
175	4903	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी -फागी	
176	4902	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - दूदू	
177	6859	राजकीय महाविद्यालय फागी जयपुर	
178	6536	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल दूदू जयपुर	
179	19062	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मोजमाबाद	
180	1716	उप अधीक्षक जिला जेल गंगापुर सिटी	
181	19665	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा गंगापुर सिटी	
182	4405	प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय टोडाभीम	
183	5851	प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय बामनवास	
184	6585	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल बामनवास सवाई माधोपुर	
185	1714	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - गंगापुर सिटी	
186	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	
187	6558	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल टोडाभीम करौली	
188	18695	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नादौती करौली	
189	4377	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - नादौती	गंगापुर सिटी (48)
190	6559	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल नादौती करौली	
191	1640	प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी	
192	1715	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - बामनवास	
193	5731	परियोजना प्रचा.	
194	479	नई पेंशन अंशदान	
195	19184	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बामनवास (सवाई माधोपुर)	
196	19820	नगर पालिका बोर्ड, वज्जिरपुर	
197	4375	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - टोडाभीम	
198	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	
199	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	कोटपुतली बहरोर(52)
200	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण	
201	4597	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - सेतड़ी	
202	479	नई पेंशन अंशदान	
203	19048	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अजीतगढ़	
204	4592	राजकीय महाविद्यालय सेतड़ी	
205	1313	कृषि उपज मंडी समिति श्रीमाधोपुर	
206	19669	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा नीम का थाना	
207	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	
208	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	
209	4536	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सेतड़ी	नीम का थाना(53)
210	4598	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - उदयपुरवाटी	
211	5126	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - नीम का थाना	
212	6811	अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान श्रीमाधोपुर (सीकर)	
213	6866	राजकीय महाविद्यालय पाटन सीकर	
214	6385	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - पाटन सीकर	
215	1314	कृषि उपज मंडी समिति नीम का थाना	
216	5128	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - श्रीमाधोपुर	
217	1209	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - सांचौर	
218	6540	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालय रानीवाड़ा जालोर	
219	1146	कृषि उपज मंडी समिति सांचौर	
220	4415	अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रानीवाड़ा	सांचौर(55)
221	479	नई पेंशन अंशदान	
222	19010	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बागोड़ा	
223	5658	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - चितलवाना	
224	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	

क्र.सं.	पीडी खाता संख्या	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम	कोषालय का नाम और कोषालय कोड
225	6725	राजकीय महाविद्यालय रानीवाड़ा जालोर	
226	6851	राजकीय महाविद्यालय सांचौर जालोर	
227	1272	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी -रानीवाड़ा	
228	19011	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सरनाऊ	
229	19672	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा सांचौर	
230	18763	सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कोटड़ी (भीलवाड़ा)	शाहपुरा(56)
231	3194	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-बनेड़ा	
232	826	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-कोटड़ी	
233	19673	जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा	
234	6497	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल शाहपुरा भीलवाड़ा	
235	6499	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल कोटड़ी भीलवाड़ा	
236	6375	राजकीय महाविद्यालय बनेड़ा (भीलवाड़ा)	
237	475	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी.	
238	479	नई पेंशन अंशदान	
239	830	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, शाहपुरा-भीलवाड़ा	
240	876	अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान - ऊंचा	
241	18762	राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनेड़ा (भीलवाड़ा)	
242	471	भारतीय जीवन बीमा निगम	
243	6507	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल बनेड़ा भीलवाड़ा	
244	473	गृह निर्माण अग्रिम ऋण	
245	6842	राजकीय कॉलेज जहाजपुर भीलवाड़ा	
246	825	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-जहाजपुर	
247	6495	स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल जहाजपुर भीलवाड़ा	

परिशिष्ट 3.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.6; पृष्ठ 137)

वर्ष 2023-2025 के दौरान निजी निक्षेप खातों का संचालन न होना

(₹ लाख में)

क्र.सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम	कोषालय कोड	कोषालय का नाम और कोषालय कोड	वर्ष 2023-25 के दौरान शेष
1.	कामगार क्षतिपूर्ति आयोग	01	अजमेर	14.29
2.	राजस्थान स्वास्थ्य सौसायटी (आयुष)	01	अजमेर	21.21
3.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	01	अजमेर	0.00
4.	आर्यभट्ट विश्वविद्यालय चाचियावास, अजमेर	01	अजमेर	2.69
5.	सहायक औषधि नियंत्रक आयुर्वेद	01	अजमेर	0.00
6.	शिक्षा सहकारी समिति	02	अलवर	0.13
7.	संरक्षण अधिकारी, महिला अधिकारिता विभाग	02	अलवर	0.00
8.	सहायक निदेशक, उद्यानिकी, अलवर	02	अलवर	8.62
9.	अध्यक्ष पंच निरया शूलक	02	अलवर	0.72
10.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	02	अलवर	0.00
11.	राजकीय महाविद्यालय, भास्करपालनगर, अलवर	02	अलवर	0.00
12.	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	03	बांसवाड़ा	0.00
13.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	03	बांसवाड़ा	0.05
14.	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	04	बारां	0.00
15.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	04	बारां	0.06
16.	जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) बारां	04	बारां	1.74
17.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	04	बारां	3.10
18.	उप वन संरक्षक, बाड़मेर	05	बाड़मेर	0.01
19.	गृह निर्माण अग्रिम एच.डी.एफ.सी	05	बाड़मेर	1.56
20.	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	06	ब्यावर	0.00
21.	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	07	भरतपुर	0.00
22.	जिला श्रम आयुक्त	07	भरतपुर	19.74
23.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	07	भरतपुर	0.00
24.	मछली पालक विकास एजेंसी (एफएफडीए)	08	भीलवाड़ा	8.01
25.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	08	भीलवाड़ा	0.00
26.	राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना, भीलवाड़ा	08	भीलवाड़ा	0.00
27.	नागरिक सुरक्षा	09	बीकानेर	8.27
28.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	09	बीकानेर	16.82
29.	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आरजीएवीपी) बीकानेर	09	बीकानेर	0.52
30.	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	11	चित्तौड़गढ़	0.00
31.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	11	चित्तौड़गढ़	0.00
32.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	12	चुरू	0.06
33.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	12	चुरू	0.00
34.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	14	धौलपुर	0.07
35.	प्रिंसिपल राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा	15	डूंगरपुर	10.34
36.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	15	डूंगरपुर	1.09
37.	राजकीय महाविद्यालय बिछीवाड़ा डूंगरपुर	15	डूंगरपुर	8.69
38.	भूमि अधिग्रहण अधिकारी (एस.डी.एम.)	16	गंगानगर	12.76
39.	राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना, श्रीगंगानगर	16	गंगानगर	0.00
40.	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	18	जयपुर शहर	0.75
41.	जिला कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण) जयपुर	18	जयपुर शहर	1,390.41
42.	राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद	21	जयपुर सचिवालय	3.79
43.	राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना (आरएसीपी)	21	जयपुर सचिवालय	0.01
44.	राजस्थान वक्फ	21	जयपुर सचिवालय	89.96

क्र.सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) का नाम	कोषालय कोड	कोषालय का नाम और कोषालय कोड	वर्ष 2023-25 के दौरान शेष
45.	हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य संस्थान लोक प्रशासन जयपुर	21	जयपुर सचिवालय	6.27
46.	होम्योपैथी चिकित्सा विभाग निदेशालय, राजस्थान जयपुर	21	जयपुर सचिवालय	0.01
47.	यूनानी चिकित्सा विभाग निदेशालय, राजस्थान जयपुर	21	जयपुर सचिवालय	0.00
48.	कृषि उपज मण्डी समिति	23	जालौर	0.07
49.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	23	जालौर	0.01
50.	न्यू एम.सी. ए. अन्य पिछड़ा वर्ग	23	जालौर	0.02
51.	कृषि उपज मण्डी समिति भीमनाल	23	जालौर	0.80
52.	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	25	झुंझुनू	0.00
53.	श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदाना	25	झुंझुनू	12.92
54.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	25	झुंझुनू	0.04
55.	राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, सशक्तिकरण	26	जोधपुर शहर	12.54
56.	सरकारी महाविद्यालय, बालेसर	27	जोधपुर ग्रामीण	27.21
57.	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	28	करौली	1.03
58.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	28	करौली	0.00
59.	राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना	30	नागौर	0.00
60.	जिला कलेक्टर, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	30	नागौर	8.60
61.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	30	नागौर	2.55
62.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	31	पाली	0.41
63.	जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (आरजीएवीपी) पाली	31	पाली	0.00
64.	सरकारी महाविद्यालय रोहट पाली	31	पाली	3.90
65.	राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना, पाली	31	पाली	0.00
66.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	34	सवाई माधोपुर	0.02
67.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	34	सवाई माधोपुर	0.00
68.	राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना, सवाई माधोपुर	34	सवाई माधोपुर	0.00
69.	जिला आयुर्वेद अधिकारी	35	सीकर	0.00
70.	अधिशाषी अभियंता, जवाई नहर, सुमेरपुर	36	सिरोही	5.36
71.	अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	36	सिरोही	0.00
72.	सहायक निदेशक, बागवानी, टोंक	37	टोंक	3.30
73.	गृह निर्माण अग्रिम एसबीबीजे	37	टोंक	1.86
74.	उप निदेशक, एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (बाल विकास)	38	उदयपुर शहर	4.77
75.	आईटीआई संस्थान प्रबंधन समिति	38	उदयपुर शहर	0.39
				1717.54

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान द्वारा प्रदात सूचना।

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ अनुच्छेद 3.7; पृष्ठ 140)

वर्ष 2024-25 के दौरान लघु मद 800-अन्य व्यय के अंतर्गत व्यय का गलत वर्गीकरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मद का विवरण जहाँ बुकिंग को गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया	राशि	व्यय की प्रकृति	उचित वर्गीकरण
1.	3054- सड़कें और पुल 04-जिला और अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय 01-जिला सड़कों का संधारण और जीर्णोद्धार 01-जिला सड़कें	65.02	राजस्व	3054-04 के अंतर्गत 105- रखरखाव एवं मरम्मत
2.	3054- सड़कें एवं पुल 04-जिला एवं अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय 02-ग्रामीण सड़कें 01-ग्रामीण सड़कों की मरम्मत	324.01	राजस्व	3054-04 के अंतर्गत 105- रखरखाव एवं मरम्मत
3.	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं 800-अन्य व्यय 02-नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं 01-स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण 17-प्रमुख निर्माण कार्य	0.50	पूंजीगत	4210-02 के अंतर्गत 101- उप स्वास्थ्य केंद्र
4.	4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं 800-अन्य व्यय 02-नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं 02-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण 17-प्रमुख निर्माण कार्य	10.00	पूंजीगत	4210-02 के अंतर्गत 103- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
5.	4210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं 800-अन्य व्यय 02-नाबार्ड ऋण आधारित योजनाएं 03-सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण 17-प्रमुख निर्माण कार्य	64.41	पूंजीगत	4210-02 के अंतर्गत 104- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
6.	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03-छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों का समेकित विकास 800-अन्य व्यय 01-स्थानीय निकायों आदि को सहायता 02-शहरी जनसहभागी योजना 17-प्रमुख निर्माण कार्य	0.69	पूंजीगत	4217-03 के अंतर्गत 051- निर्माण
7.	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03-छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों का समेकित विकास 800-अन्य व्यय 02-शहरी सड़कें और नालियां आदि (आरओबी) 07-विभिन्न शहरी निकायों के लिए 17-प्रमुख निर्माण कार्य	13.70	पूंजीगत	4217-03 के अंतर्गत 051- निर्माण
8.	4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 03-छोटे और मध्यम श्रेणी के शहरों का समेकित विकास 800-अन्य व्यय 06-अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन 01-स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से 17-प्रमुख निर्माण कार्य	36.58	पूंजीगत	4217-03 के अंतर्गत 051- निर्माण
9.	4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	15.00	पूंजीगत	4225-03 के अंतर्गत 277- शिक्षा

क्र. सं.	मद का विवरण जहाँ बुकिंग को गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया	राशि	व्यय की प्रकृति	उचित वर्गीकरण
	03-पिछड़े वर्ग का कल्याण 800-अन्य व्यय 01-देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से) 02-आदर्श छात्रावास योजना के तहत देवनारायण छात्रावास भवन का निर्माण 17-प्रमुख निर्माण कार्य			
10.	4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 03-पिछड़े वर्ग का कल्याण 800-अन्य व्यय 01- देवनारायण योजना (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से) 03-देवनारायण आवासीय विद्यालय का निर्माण 17- प्रमुख निर्माण कार्य	55.00	पूंजीगत	4225-03 के अंतर्गत 277- शिक्षा
11.	4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 04-अल्पसंख्यकों का कल्याण 800-अन्य व्यय 01-अल्पसंख्यक मामलात निदेशालय के माध्यम से 01-छात्रावास भवन का निर्माण 17-प्रमुख निर्माण कार्य	25.00	पूंजीगत	4225-04 के अंतर्गत 277- शिक्षा
12.	4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 04-अल्पसंख्यकों का कल्याण 800-अन्य व्यय 01- अल्पसंख्यक मामलात निदेशालय के माध्यम से 04-अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण 17-प्रमुख निर्माण कार्य	100.00	पूंजीगत	4225-04 के अंतर्गत 277- शिक्षा
13.	4235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-समाज कल्याण 800-अन्य व्यय 04-वृद्धाश्रम का निर्माण 17-प्रमुख निर्माण कार्य	85.00	पूंजीगत	4235-02 के अंतर्गत 104- वृद्धों, अशक्तों और निराश्रितों का कल्याण
14.	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 02-समाज कल्याण 800-अन्य व्यय 02-रेबारी और अन्य प्रवासी समुदायों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण 90-निर्माण कार्य	1.00	पूंजीगत	4235-02 के अंतर्गत 102- बाल कल्याण
15.	4406-वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 03-लंबे पौधे की तैयारी 01-विकास कार्य 63-पौधारोपण	1.32	पूंजीगत	4406-01 के अंतर्गत 101- वन संरक्षण, विकास और पुनर्जनन
16.	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय 02-अन्य सड़क निर्माण कार्यक्रम	2,747.60	पूंजीगत	5054-04 के अंतर्गत 337- सड़क कार्य

क्र. सं.	मद का विवरण जहाँ बुकिंग को गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया	राशि	व्यय की प्रकृति	उचित वर्गीकरण
	01-ग्रामीण सड़कें 74-सड़कों और पुलों पर व्यय			
17.	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें 800-अन्य व्यय 02-अन्य सड़क निर्माण कार्यक्रम 06-शहरी सड़कें 74-सड़कों और पुलों पर व्यय	103.04	पूंजीगत	5054-04 के अंतर्गत 337- सड़क कार्य
	योग	3,647.87		

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ अनुच्छेद 3.8; पृष्ठ 144)

जिले-वार प्रतिकूल अवशेष

(₹ करोड़ में)

कोषालय का कोड	कोषालय का नाम	अंतिम शेष
1	अजमेर	(-)114.47
2	अलवर	(-)75.80
3	बांसवाड़ा	(-)21.28
4	बारां	(-)27.76
5	बाड़मेर	(-)25.46
6	ब्यावर	(-)36.22
7	भरतपुर	(-)78.06
8	भीलवाड़ा	(-)86.97
9	बीकानेर	(-)123.65
10	बूंदी	(-)45.61
11	चित्तोड़गढ़	(-)39.46
12	चुरू	(-)94.40
13	दौसा	(-)15.46
14	धोलपुर	(-)15.91
15	झुंजरपुर	(-)11.49
16	गंगानगर	(-)91.49
17	हनुमानगढ़	(-)67.80
18	जयपुर (शहर)	254.74
19	जयपुर (टीओ पेंशन)	(-)756.83
20	जयपुर (ग्रामीण)	1.08
21	जयपुर सचिवालय	(-)1798.32
22	जैसलमेर	(-)13.23
23	जालोर	(-)18.68
24	झालावाड़	(-)33.52
25	झुन्झुनू	(-)72.08
26	जोधपुर (शहर)	102.86
27	जोधपुर (ग्रामीण)	(-)299.48
28	करौली	(-)20.52
29	कोटा	(-)210.12
30	नागौर	(-)41.64
31	पाली	(-)83.75
32	प्रतापगढ़	(-)22.34
33	राजसमन्द	(-)20.74
34	सवाई माधोपुर	(-)35.40
35	सीकर	(-)71.57
36	सिरोही	(-)37.59
37	टोंक	(-)52.56
38	उदयपुर	45.21
40	ई-कोषालय जयपुर	47.09
41	उदयपुर ग्रामीण	(-)136.19
42	अनुपगढ़	2.80
43	बालोतरा	3.35
44	केकड़ी	1.39
45	डीग	2.52
46	डीडवाना-कुचामन	5.87
47	गंगापुर सिटी	1.76
48	फलोदी	1.52
49	खैरथल-तिजारा	1.03

कोषालय का कोड	कोषालय का नाम	अंतिम शेष
50	कोटपुतली-बहरोड़	1.51
51	नीम का थाना	1.85
52	सलुम्बर	0.62
53	सांचोर	0.36
54	शाहपुरा	1.17
एसी	कोषालय	₹ 4,126
	योग	(-) 4,219.11

परिशिष्ट 3.8

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.12; पृष्ठ 147)

स्वायत्त निकायों के प्रदर्शन को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	निकाय का नाम	सौंपे जाने की अवधि	जिस वर्ष तक खाते प्राप्त हुए	अवधि जब तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किया गया	विधानमंडल में पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत	बकाया लेखे
1	राजस्थान खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड, जयपुर	नियमित लेखापरीक्षा	2023-24	2022-23	उपलब्ध नहीं	2024-25
2	राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर	नियमित लेखापरीक्षा	2023-24	2023-24	उपलब्ध नहीं	2024-25
3	राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर (36 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित)	नियमित लेखापरीक्षा	2023-24	2022-23	उपलब्ध नहीं	2024-25
4	राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर	नियमित लेखापरीक्षा (लेखापरीक्षा के लिए चयनित नहीं)	2023-24	2021-22	उपलब्ध नहीं	2024-25
5	राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू), जयपुर	नियमित लेखापरीक्षा	2017-18	2017-18	उपलब्ध नहीं	2018-19 से 2024-25
6	राजस्थान राज्य प्रतिपूर्ति वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (राजस्थान राज्य कैम्पा)	नियमित लेखापरीक्षा	2017-18	2017-18	उपलब्ध नहीं	2018-19 से 2024-25
7	राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, जयपुर (रेरा)	नियमित लेखापरीक्षा	2023-24	2022-23	उपलब्ध नहीं	2024-25
8	राजस्थान विद्युत नियामक आयोग, जयपुर	नियमित लेखापरीक्षा	2023-24	2023-24	05.02.2025	2024-25
9	राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, जयपुर	नियमित लेखापरीक्षा	2023-24	2023-24	उपलब्ध नहीं	2024-25

परिशिष्ट 3.9

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.12; पृष्ठ 147)

स्वायत्त निकाय और प्राधिकरण जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए

क्र.सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए	विगत वर्षों के दौरान प्राप्त अनुदान (₹लाख में)	पिछले वर्षों के दौरान किया गया व्यय (₹लाख में)
आयुर्वेद					
1	राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर	4	2021-22 से 2024-25	11,236.84 (2020-21)	3,656.75
2	राजस्थान राज्य औषधीय पादप बोर्ड, जयपुर	4	2021-22 से 2024-25	1,007.67 (2020-21)	43.02
3	राजस्थान राज्य आयुष सोसायटी, जयपुर	4	2021-22 से 2024-25	21,781.89 (2020-21)	1,723.87
4	राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड, जयपुर	1	2024-25	शून्य (2023-24)	14.86
गृह					
1	सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, मथानिया रोड, जोधपुर	2	2023-24 से 2024-25	717.71 (2022-23)	780.04
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य					
1	राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण समिति, जयपुर	1	2024-25	6,650.70 (2023-24)	3,210.85
2	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी, जयपुर (एन.एच.एम.)	1	2024-25	6,30,336.91 (2023-24)	4,00,115.48
3	अधिकांशी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), अजमेर	-	2024-25	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी (एनएचएम) के समेकित रूप से प्राप्त लेखों के साथ।	यह व्यय राजस्थान राज्य स्वास्थ्य सोसायटी (एनएचएम) के समेकित लेखों में सम्मिलित है।
4	अधिकांशी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), अलवर	-	2024-25	वही	-do-
5	अधिकांशी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), बांसवाड़ा	-	2024-25	वही	वही
6	अधिकांशी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), भरतपुर	-	2024-25	वही	वही
7	अधिकांशी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), बीकानेर	-	2024-25	वही	वही
8	अधिकांशी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), चित्तौड़गढ़	-	2024-25	वही	वही
9	अधिकांशी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), चुरू	-	2024-25	वही	वही
10	अधिकांशी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), जयपुर	-	2024-25	वही	वही
11	अधिकांशी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), जालौर	-	2024-25	वही	वही
12	अधिकांशी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), जोधपुर	-	2024-25	वही	वही
13	अधिकांशी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), कोटा	-	2024-25	वही	वही
14	अधिकांशी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), नागौर	-	2024-25	वही	वही
15	अधिकांशी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), सवाई माधोपुर	-	2024-25	वही	वही
16	अधिकांशी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), सीकर	-	2024-25	वही	वही
17	अधिकांशी अभियंता सिविल कार्य प्रभाग (एनएचएम), उदयपुर	-	2024-25	वही	वही

क्र.सं.	विभाग	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए	विगत वर्षों के दौरान प्राप्त अनुदान (₹लाख में)	पिछले वर्षों के दौरान किया गया व्यय (₹लाख में)
18	राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	3	2022-23 से 2024-25	9,271.79 (2021-22)	7,575.24
19	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य आश्वासन एजेंसी, जयपुर	2	2023-24 से 2024-25	2,22,635.17 (2022-23)	2,54,844.76
20	राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी, जयपुर	2	2023-24 से 2024-25	63,355.49 (2022-23)	68,731.07
अल्पसंख्यक मामलात					
1	राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	1	2024-25	169.67 (2023-24)	232.50
2	राजस्थान राज्य हज समिति, जयपुर	2	2023-24 से 2024-25	21.11 (2022-23)	29.45
3	राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग, जयपुर	2	2023-24 से 2024-25	81.25 (2022-23)	85.71
4	राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर	4	2021-22 से 2024-25	11,276.04 (2020-21)	8,536.11
5	राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जयपुर	2	2023-24 से 2024-25	10.60 (2022-23)	400.52
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.					
1	राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	3	2022-23 से 2024-25	2,777.85 (2021-22)	110.94
2	राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर	3	2022-23 से 2024-25	301.48 (2021-22)	298.73
3	राजस्थान एससी, एसटी, वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	3	2022-23 से 2024-25	8,576.99 (2021-22)	1,671.42
4	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर	1	2024-25	738.42 (2023-24)	4,816.14
5	अफीम व्यसन मुक्ति एवं प्रशिक्षण अनुसंधान ट्रस्ट, जोधपुर	1	2024-25	67.49 (2023-24)	47.00
6	नारायण सेवा संस्थान, उदयपुर	1	2024-25	980.07 (2023-24)	7,923.86
7	राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर	1	2024-25	105.00 (2023-24)	137.91
जनजातीय क्षेत्र विकास					
1	राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड, उदयपुर	2	2023-24 से 2024-25	4,456.41 (2022-23)	2,594.81
2	सेवा मंदिर, उदयपुर	1	2024-25	00.00 (2023-24)	3,571.78
3	स्वच्छ जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना, उदयपुर	2	2023-24 से 2024-25	51,017.77 (2022-23)	27,596.11
4	जनजाति महिला विकास संस्थान, सवाई माधोपुर	1	2024-25	00.00 (2022-23)	221.38
महिला एवं बाल विकास					
1	महिला एवं बालविकास (ल्यूपिन) परियोजना कुम्हेर, भरतपुर	1	2024-25	267.97 (2023-24)	266.66
2	राजस्थान राज्य महिला आयोग, जयपुर	1	2024-25	316.00 (2023-24)	294.56
3	हितकारी महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, सिटी पैलेस, कोटा	5	2020-21 से 2024-25	7.50 (2019-20)	7.51
योग		61			